कार्यालय जिला पंचायत सीधी (म0प्र0)

कमांक /1230/जि.पं./धारा 40, 92/न्याया./2021 सीधी, दिनांक 30/4/2021

प्रति,

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, भोपाल

विषयः–मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराजं अधिनियम 1993 की धारा 40 और धारा 92 के तहत् की गई कार्यवाही की जानकारी का प्रेषण।

सन्दर्भः–भवदीय कार्यालय का पृष्ठांकन पत्र कमांक एफ 11–104/2020/सूअप्र/1–9/257 भोपाल, दिनांक 01.04.2021

–0–

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 और धारा 92 के तहत् की गई कार्यवाही को निर्धारित प्रारुप में जिले की जानकारी संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

30/04/2021
(आर0के0 शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म0प्र0)

पृ0क0/3231/जि.पं./धारा 40, 92/न्याया./2021 सीधी, दिनांक 30/4/2021

प्रतिलिपि :–

1. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा की ओर आपके कार्यालय का पत्र कमांक स.लो.सू.अधि./2021/1072 दिनांक 06.04.2021 के परिप्रेक्ष्य में उक्तानुसार धारा 40 एवं धारा 92 के तहत् की गई कार्यवाही की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. कलेक्टर, जिला सीधी।
3. संचालक, पंचायत राज संचालनालय म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) कलेक्ट्रेट सीधी की ओर उक्तानुसार निर्धारित प्रपत्र में संलग्न सूची/जानकारी अनुसार पारित आदेशों की छायाप्रतियॉ जिले की बेवसाइड में अपलोड करने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म0प्र0)

कार्यालय जिला पंचायत सीधी (म0प्र0)

धारा 40 की कार्यवाही का विवरण

ला	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	किस धारा के तहत् कार्यवाही	पारित आदेश (आदेश की प्रति)	आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है तो (एफ.आई.आर. की प्रति)
सीधी	मझौली	टिकरी	धारा 40	संलग्न है।	निरंक
सीधी	मझौली	नौढिया	धारा 40	संलग्न है।	निरंक
सीधी	मझौली	ताला	धारा 40	संलग्न है।	निरंक
सीधी	मझौली	सिरौला	धारा 40	संलग्न है।	निरंक
सीधी	मझौली	अमहिया	धारा 40	संलग्न है।	निरंक
सीधी	मझौली	परसिली	धारा 40	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सिहावल	बघौडी	धारा 40	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	धनहा	धारा 40	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	मौरा	धारा 40	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	कोष्ठाकोठार	धारा 40	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	धनखोरी	धारा 40	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	हिनौती नं. 1	धारा 40	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	मड़वा	धारा 40	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	सुकवारी मझारी	धारा 40	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	माटा	धारा 40	संलग्न है।	निरंक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म0प्र0)

कार्यालय जिला पंचायत सीधी (म0प्र0)

धारा 92 की कार्यवाही का विवरण

जिला	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	किस धारा के तहत् कार्यवाही	पारित आदेश (आदेश की प्रति)	आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है तो (एफ.आई.आर. की प्रति)
सीधी	कुसमी	गाजर	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	कुसमी	रामपुर	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	कुसमी	मझिगवा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	कुसमी	कमछ	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	कुसमी	कुन्दौर	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	कुसमी	खोखरा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	कुसमी	खैरी	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	कुसमी	उमरिया	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	कुसमी	पिपराही	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	कुसमी	उमरिया	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	कुसमी	डेवा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	कुसमी	गोतरा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	कुसमी	कोटा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	कुसमी	भदौरा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	कुसमी	कुसमी	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	मझौली	पथरौला	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	मझौली	सेधवा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	मझौली	सिरौला	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	मझौली	महखोर	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	मझौली	परसिली	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सिहावल	बल्हया	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सिहावल	डोल	धारा 92	संलग्न है।	निरंक

	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	किस धारा के तहत् कार्यवाही	पारित आदेश (आदेश की प्रति)	आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है तो (एफ.आई.आर. की प्रति)
सीधी	सिहावल	कुशियारी	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सिहावल	चोराही	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सिहावल	हटवा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सिहावल	बांकी	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सिहावल	घोघरा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सिहावल	सोनतीर पटेहरा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सिहावल	कुनझुनकला	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सिहावल	कोरौलीकला	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सिहावल	घोघरा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सिहावल	दुधमनिया	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सिहावल	दुअराकला	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सिहावल	डोल	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	कोष्ठाकोठार	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	चकडौर	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	रिमारी	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	करौदिया	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	खारा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	पैपखरा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	हनुमानगढ	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	इटहा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	अमरपुर	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	सतोहरी	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	पटेहरा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	बेल्दह	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	रामपुर नैकिन	मौरा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक

ला	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	किस धारा के तहत् कार्यवाही	पारित आदेश (आदेश की प्रति)	आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है तो (एफ.आई.आर. की प्रति)
सीधी	सीधी	चौफाल पवाई	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	छवारी	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	सिरसी	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	पड़खुरी नं. 1	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	डिहुली	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	डेम्हा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	छवारी	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	भमरहा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	बहेरा पश्चिम	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	कोचिला	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	लकोड़ा	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	कुर्वाह	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	कोठार	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	देवगढ़	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	नौढिया	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	सारोकला	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	सुकवारी मझारी	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	कमर्जी	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	कमर्जी	धारा 92	संलग्न है।	निरंक
सीधी	सीधी	पड़रियाकला	धारा 92	संलग्न है।	निरंक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म0प्र0)

कार्यालय जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)

सीधी दिनांक 31/12/2018

आदेश

क्रमांक/13906/जि.पं./न्या./2018, विकास खण्ड स्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र कुसमी के पत्र क्र. 821/निर्माण/ज.शि.के./2016 दिनांक 18.11.2016 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग कुसमी जिला सीधी को ग्राम पंचायत गाजर के तत्कालीन सरपंच श्री बृजलाल बैगा एव तत्कालीन सचिव श्री रामभद्र शुक्ला के विरूद्ध सर्व शिक्षा अभियान मद से वर्ष 2007-08 मे अतिरिक्त कक्ष शा.प्राथ.शाला ताला एवं गोलीपहरी के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति राशि होने के बावजूद कार्य नही किए जाने के कारण तत्कालीन सरपंच श्री बृजलाल बैगा एव तत्कालीन सचिव श्री रामभद्र शुक्ला के विरूद्ध पचायतराज अधिनियम 1993 की धारा-92 के तहत कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया था।

विकास खण्ड स्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र कुसमी के पत्र क्र. 821/निर्माण/ज.शि.के./2016 दिनांक 18.11.2016 के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग कुसमी जिला सीधी मे प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 18.11.2016 को संबधित सचिव और सरपच के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्य पूर्ण न करने के कारण म0प्र0 पचायतराज एव ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा- 92 के तहत कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया था। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कुसमी जिला सीधी में प्रचलित रहा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी द्वारा म0प्र0 शासन ग्रामीण विकास विभाग मत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ- 5-2-2017-बाईस-पी-1 दिनांक 01.05.2017 के परिपालन में प्रकरण को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी को प्रेषित कर दिया गया था।

जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सीधी द्वारा अपने पत्र कमाक 4489/जि.शि.के./निर्माण/2018 दिनांक 13.11.2018 से अनावेदक तत्कालीन सरपंच श्री बृजलाल बैगा एवं तत्कालीन सचिव श्री रामभद्र शुक्ला के विरुद्ध ग्राम पंचायत गाजर मे अतिरिक्त कक्ष शा.प्राथ.शाला ताला एवं गोलीपहरी के निर्माण कार्य मे वसूली योग्य राशि निरंक होने का लेख किया है।

अतः जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सीधी के पत्र क्र. 4489/जि.शि.के./निर्माण/2018 दिनाक 13.11.2018 के परिप्रेक्ष्य में वसूली योग्य राशि निरंक होने से अनावेदक तत्कालीन ताला एव गोलीपहरी ग्राम पचायत गाजर जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी के विरुद्ध दर्ज धारा-92 का यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)
सीधी दिनांक 31/12/2018

क्रमाक/13907/जि.पं./न्याया./धारा-92/2018,

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी की ओर सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी पंचायत प्रकोष्ठ जिला पंचायत सीधी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. स्टेनोटू-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी।
4. सबधीजन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गाजर जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)

KEAMS

कार्यालय जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)

आदेश

सीधी दिनांक 06/9/18

क्रमांक /7647 /जि.पं./न्या./2018, कार्यालय जनपद शिक्षा केन्द्र कुसमी जिला सीधी के पत्र क्र. 310/निर्माण/2016 दिनांक 18.11.2016 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग कुसमी जिला सीधी को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य प्राथमिक शाला कुदरिया में अतिरिक्त कक्ष के लिए रूपये 214400.00 लाख वर्ष 2007–08 में संबंधित ग्राम पंचायत पिपराही जनपद पंचायत कुसमी को प्रदान किये जाने के बावजूद कार्य में रूचि नहीं लिए जाने और राशि आहरण के उपरांत निर्माण कार्य नहीं किये जाने के कारण निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत पिपराही के सरपंच श्री शिवनन्दन सिंह तथा सचिव श्री राजकुमार गुप्ता के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा के तहत कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया था।

जनपद शिक्षा केन्द्र कुसमी के पत्र के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग कुसमी जिला सीधी मे प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर 18.11.2016 को संबंधित सचिव और सरपंच के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्य पूर्ण न करने के कारण म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा– 92 (2) के तहत कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया था। प्रकरण 11.05.2017 तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कुसमी जिला सीधी में प्रचलित रहा। इसके बाद म0प्र0 शासन ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ– 5–2–2017–बाईस–पी–1 दिनांक 01.05.2017 के परिपालन मे प्रकरण 11.05.2017 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी को प्रेषित कर दिया गया था। कार्यालय में प्रकरण क्र. 127/जि.पं./न्याया./2017 दर्ज किया गया।

इसके उपरांत जिला पंचायत के कार्यालयीन पत्र क्र. 5663/जि.पं./न्याया./92/2018 दिनांक 20.07.2018 द्वारा जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सीधी को लेख करके निर्देशित किया गया था कि प्रकरण की अद्यतन स्थिति जिसमें अनावेदक सरपंच श्री शिवनन्दन सिंह एवं सचिव श्री राजकुमार गुप्ता के विरूद्ध वसूली योग्य राशि का स्पष्ट उल्लेख चाहा गया था। पत्र के जवाब में जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सीधी द्वारा अपने पत्र क्र. 3717/जि.शि.के./निर्माण/2018 दिनांक 08.08.2018 में ग्राम पंचायत पिपराही के सरपंच श्री शिवनन्दन सिंह एवं सचिव श्री राजकुमार गुप्ता द्वारा प्राथमिक शाला कुदरिया मे स्वीकृत अतिरिक्त कक्ष के कार्य हेतु कुल रूपये 2.257 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदाय की जाने और निर्माण कार्य ग्राम पंचायत को सौपे जाने का लेख किया है पत्र में उपयंत्री श्री महेन्द्र अहिरवार के प्रतिवेदन अनुसार निर्माण ऐजेन्सी ग्राम पंचायत पिपराही द्वारा प्राथमिक शाला कुदरिया के अतिरिक्त कक्ष के निमार्ण में प्रदाय राशि रूपये 70000.00 आहरित कर रूपये 64695.00 का कार्य किया जाना भी उल्लेखित किया गया है। पत्र में सचिव श्री रामकुमार गुप्ता द्वारा डीडी क. 881262 दिनांक 18.08.2017 को रूपये 5305.00 जमा किये जाने का लेख भी किया है तथा प्रकरण में वसूलीयोग्य राशि रूपये 00.00 (निरंक) होना बताया गया है।

अतः जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सीधी के पत्र क्र. 3717/जि.शि.के./निर्माण/2018 दिनांक 08.08.2018 के प्रकाश में कार्य पूर्ण हो जाने से सरपंच श्री शिवनन्दन सिंह एवं सचिव श्री राजकुमार गुप्ता का प्रकरण समाप्त किया जाता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)

क्रमांक/7648 /जि.पं./न्याया./2018, सीधी दिनांक 06/9/18

प्रतिलिपि:–

1. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र सीधी।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी की ओर सूचनार्थ।
3. पंचायत प्रकोष्ठ जिला पंचायत सीधी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. स्टेनों टू–मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी।
5. सबंधीजन सरपंच/सचिव की ओर सूचनार्थ।
6. स्थापना सचिव।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)

(12

राजस्व आदेश अनुवृत्ति–पत्र

मामला क्रमाक 0037 / अ89अ(19) / 2018–19

म०प्र०शासन बनाम श्रीमती धरमवती देवी तत्कालीन सरपच एव श्री हर्षनारायण सिह तत्कालीन सचिव ग्राम पचायत पिपराही जनपद पचायत सीधी

1	2	3
0/2/19	1. प्रकरण प्रस्तुत / 2– अनावेदक सचिव श्री हर्षनारायण सिंह उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा राशि जमा की जा चुकी है, प्रकरण समाप्त किया जाय। 3– प्रकरण का आदेश हेतु परीक्षण किया गया । प्रकरण का संक्षिप्त आशय यह है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी द्वारा प्रतिवेदन दिनाक 01.02.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जनपद शिक्षा केन्द्र कुसमी द्वारा पत्र क्र0–283 / बीआर. सी / निमाणकार्य 18 से अनुविभागीय अधिकारी कुसमी को अनावेदक श्रीमती धरमवती देवी तत्कालीन सरपंच से 62422.00 रूपये एवं श्री हर्षनारायण सिंह सचिव से 62422..00 राशि वसूली हेतु पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु पत्र लिखा। पत्र के संबध मे अनुविभागीय अधिकारी कुसमी द्वारा अनावेदको को धारा 92 के तहत कारण बताओ सूचना जारी की गई। तदनुसार प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी कुसमी के न्यायालय में प्रचलित रहा। जिला शिक्षा केन्द्र ने अपने पत्र कमाक 3724 / जि.शि.के / निर्माण / 2018 द्वारा सरपंच श्रीमती धरमवती देवी एव सचिव श्री हर्षनारायण सिंह पर रूपये 39461.00 रूपये की वसूली योग्य राशि होने का लेख किया है। पंचायत एव ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–5–2–2017 बाईस–पी–1 दिनांक 01.05.2017 से धारा 92 (1)(2)(3) की विहित प्राधिकारी की शक्तियां मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिये जाने से प्रकरण इस कार्यालय को अन्तरित किया गया । प्रकरण में धारा 89 पचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत कोई आदेश वसूली योग्य राशि का विनिश्चयन करते हुए विहित प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी	

जिला पंचायत सीधी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 इदार खण्डपीठ के Rosan Nargave Vs state of M-P-and ors-and W-P-No-8094 0f 2015decided on 08.09.16 के पैरा 7,8,9,का उल्लेख कर प्रकरण में धारा 89 के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

4 प्रकरण पंजीयन कर अनावेदक सरपच को म0प्र0 पंचायत राज एव ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत दिनांक 22.12.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। अनावेदक सचिव श्री हर्षनारायण सिंह द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया कि अतिरिक्त कक्ष बहेराडोल स्कूल ग्राम पंचायत पिपराही में मूल्यांकन से अधिक राशि 39461.00 रूपये डी डी कमाक 919803 दिनांक 04.02.2018 को जमा कर दी गयी है प्रकरण समाप्त किया जाय।

5 जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सीधी द्वारा कार्यालयीन पत्र कमाक 186/जि.शि.के./निर्माण/2019 दिनांक 06.02.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ग्राम पंचायत पिपराही अन्तर्गत स्वीकृत माध्यमिक शाला बहेराडोल के हेडमास्टर कक्ष स्वी0वर्ष 2011–12 का निमार्ण कार्य छत स्तर तक हो चुका है तथा कराये गये कार्य का मूल्याकन रूपये 115117.00 रूपये है निमार्ण एजेन्सी से राशि 101883.00 वसूली योग्य राशि पायी गयी है जिसके विरूद्ध 62422.00 जरिये डी डी क 993564 दिनांक 31.01.2017 तथा रूपये 39461.00 डी डी कमाक 919803 दिनांक 04.02.2019 द्वारा सबंधित सचिव श्री हर्षनारायण सिंह द्वारा जमा किया गया है। उक्त राशि जमा होने के उपरान्त निर्माण एजेन्सी से वसूली निरंक है।

चूँकि जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सीधी द्वारा कार्यालयीन पत्र कमाक 186/जि.शि.के./निमाण/2019 दिनांक 06.02.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निमार्ण एजेन्सी के विरूद्ध वसूली निरंक है जिससे

प्रकरण में धारा 89 की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतएव प्रकरण इस न्यायालय की दायरा पंजी से कम किया जाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी को वापस भेजा जाय।

मुख्य कार्य0 अ0 जि0 प0 सीधी

(अभिषेक सिंह)
कलेक्टर
जिला सीधी (म0प्र0)

KEAMS

आदेश पत्र (न्यायालय जिला पंचायत आर्डर शीट)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के न्यायालय मे मामला क्र. 126 सन् 2017

विषय- धारा-92 प्रकरण श्रेणी ग्राम पचायत खोखरा

जनपद पचायत का नाम कुसमी तहसील कुसमी कलेक्टर का क्र.

आदेश क्रमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही	जहा आवश्यक हो पर्ची अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों के पालन करवा कर लिपिक के सक्षिप्त हस्ताक्षर और प्रकरण की तारीख
1	2	3
03/12/2019	प्रकरण पेश। विकास खण्ड समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र कुसमी ने अपने पत्र कमांक 310 दिनांक 18.11.2016 से लेख किया गया कि सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2011–12 हेतु ग्राम पंचायत खोखरा अन्तर्गत हेडमास्टर कक्ष 01 नग प्राथ.शाला सेमरीडोल के निर्माण कार्य के लिए 236000.00 रुपये की स्वीकृति दी गई। स्वीकृत राशि में से 231210.00 ग्राम पंचायत खोखरा के खाते में प्रदाय की गई, परन्तु उक्त राशि उपलब्ध रहने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं कराये जाने से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग–कुसमी को वसूली किया जाना प्रस्तावित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी द्वारा तत्कालीन सरपंच श्रीमती पानवती सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री सुनील सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सचिव द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार कार्य पूर्ण करा दिया गया है। उक्त के संबंध में कार्यालयीन पत्र कमांक 10811 दिनांक 18.10.2019 एवं पत्र कमांक 12174 दिनांक 05.11.2019 द्वारा डी.पी.सी. सीधी से वर्तमान की स्थिति का प्रतिवेदन चाहे जाने पर डी.पी.सी सीधी ने अपने पत्र कमांक 1950/जि.शि.के./निर्माण/2019 दिनाक 08.11.2019 से प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम पंचायत खोखरा अन्तर्गत प्राथ.शाला सेमरीडोल में हेडमास्टर कक्ष निर्माण का कार्य पूर्ण होने से राशि वसूली योग्य नहीं है। अतः डी.पी.सी. सीधी के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त निर्माण कार्य पूर्ण होने से तत्कालीन सरपंच श्रीमती पानवती सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री सुनील सिंह ग्राम पंचायत खोखरा के विरुद्ध म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत् दर्ज प्रकरण कमांक 126/जि.पं./न्या./धारा–92/2017 समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल दफ्तर हो। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी (म0प्र0)	

कार्यालय जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)

सीधी दिनांक 05/02/2019

आदेश

क्रमांक/1608/जि.पं./न्या./2019. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी के पत्र क्र 2424/ज.पं/आर.आर.सी./2015 दिनांक 23.09.2015 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी को ग्राम पचायत डेवा के सरपंच श्री ललुआ बैगा एवं सचिव श्री मोतीलाल गुप्ता के विरुद्ध बी.आर.जी.एफ मद से वर्ष 2013–14 में ई–पचायत कक्ष भवन निर्माण हेतु अनैतिक रुप से राशि का आहरण किया जाकर राशि अप्राधिकृत रुप से रखे जाने व निर्माण कार्य में कोई रुचि न लिये जाने से पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा–92 के तहत कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया था।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी के पत्र कमांक 2424 दिनांक 23.09.2015 के प्रकाश में उपखण्ड अधिकारी कुसमी जिला सीधी में प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर 09.10.2015 को सबंधित सरपंच/सचिव के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्य पूर्ण न करने के कारण म0प्र0 पचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा–40 के तहत कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया था। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कुसमी जिला सीधी मे प्रचलित रहा। उपखण्ड अधिकारी कुसमी द्वारा म0प्र0 शासन ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ– 5–2–2017–बाईस–पी–1 दिनांक 01.05.17 के परिपालन में प्रकरण को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी को प्रेषित कर दिया गया था।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी अपने पत्र कमांक 1328/ज.पं./स्था./2018 दिनांक 28.09.2018 से प्रतिवेदित किया गया कि बी.आर.जी.एफ मद से ग्राम पंचायत डेवा में ई–पंचायत कक्ष भवन निर्माण कार्य पूर्ण होकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। इस प्रकार तत्कालीन सरपच/तत्कालीन सचिव के विरुद्ध वसूली का प्रकरण समाप्त करने का उल्लेख किया गया है।

अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी अपने पत्र कमांक 1328/ज.पं./स्था./2018 दिनांक 28.09.2018 के परिप्रेक्ष्य मे सरपच श्री ललुआ बैगा एवं सचिव श्री मोतीलाल गुप्ता ग्राम पंचायत डेवा के विरुद्ध वसूली संबधी धारा–92 का प्रकरण समाप्त किया जाता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)

क्रमांक/1609/जि.पं./न्याया./धारा–92/2019. सीधी दिनांक 05/02/2019

प्रतिलिपि:–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी की ओर सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी पंचायत प्रकोष्ठ जिला पंचायत सीधी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. स्टेनोंटू–मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी।
4. संबंधीजन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत डेवा जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)

कार्यालय जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)

सीधी दिनांक 05/02/2019

आदेश

क्रमांक/1610/जि.पं./न्या./2019, विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र कुसमी के पत्र क्र. 283/बीआरसी/निर्माण कार्य/2016 दिनांक 04.11.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) कुसमी जिला सीधी को ग्राम पंचायत उमरिया के तत्कालीन सरपंच श्रीमती मुन्नीबाई एवं तत्कालीन सचिव श्री मोतीलाल गुप्ता के विरुद्ध सर्व शिक्षा अभियान मद से वर्ष 2011–12 में मा.शा. कन्या उमरिया में हेडमास्टर कक्ष निर्माण कार्य हेतु राशि अप्राधिकृत रुप से रखे जाने व निर्माण कार्य में कोई रुचि न लिये जाने से पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा–92 के तहत कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया था।

विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र कुसमी जिला सीधी के पत्र कमांक 283 दिनांक 04.11.2016 के प्रकाश में उपखण्ड अधिकारी कुसमी जिला सीधी में प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर 09.11.2016 को संबंधित सरपंच/सचिव के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्य पूर्ण न करने के कारण म0प्र0 पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा–40 के तहत कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया था। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कुसमी जिला सीधी में प्रचलित रहा। उपखण्ड अधिकारी कुसमी द्वारा म0प्र0 शासन ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ– 5–2–2017–बाईस–पी–1 दिनांक 01.05.17 के परिपालन में प्रकरण को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी को प्रेषित कर दिया गया था।

जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सीधी जिला सीधी अपने पत्र कमांक 4163/जि.शि.के./निर्माण/2018 दिनांक 05.10.2018 से प्रतिवेदित किया गया कि मा.शा.कन्या उमरिया का हेडमास्टर कक्ष निर्माण कार्य पूर्ण होकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच/तत्कालीन सचिव के विरुद्ध वसूली योग्य राशि निरंक उल्लेखित किया गया है।

अतः जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सीधी जिला सीधी अपने पत्र कमांक 4163/जि.शि.के./निर्माण/2018 दिनांक 05.10.2018 के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन सरपंच श्रीमती मुन्नीबाई एवं तत्कालीन सचिव श्री मोतीलाल गुप्ता ग्राम पंचायत उमरिया के विरुद्ध वसूली राशि निरंक होने से धारा–92 का प्रकरण समाप्त किया जाता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)
सीधी दिनांक 05/02/2019

क्रमांक/1610/जि.पं./न्याया./धारा–92/2019,
प्रतिलिपि:–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी की ओर सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी पंचायत प्रकोष्ठ जिला पंचायत सीधी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. स्टेनोंटू–मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी।
4. संबंधीजन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत उमरिया जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)

कार्यालय जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)

सीधी दिनांक 05/02/2019

आदेश

क्रमांक/ 1612 /जि.पं./न्या./2019, विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र कुसमी के पत्र क्र. 310/बीआरसी/निर्माण कार्य/2016 दिनांक 18.11.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) कुसमी जिला सीधी को ग्राम पंचायत उमरिया के तत्कालीन सरपंच श्रीमती मुन्नीबाई एवं तत्कालीन सचिव श्री मोतीलाल गुप्ता के विरुद्ध सर्व शिक्षा अभियान मद से वर्ष 2010–11 में मा.शा. उमरिया में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य हेतु राशि अप्राधिकृत रुप से रखे जाने व निर्माण कार्य में कोई रुचि न लिये जाने से पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा–92 के तहत कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया था।

विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र कुसमी जिला सीधी के पत्र कमांक 310 दिनांक 18.11.2016 के प्रकाश में उपखण्ड अधिकारी कुसमी जिला सीधी में प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर 18.11.2016 को संबंधित सरपंच/सचिव के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्य पूर्ण न करने के कारण म0प्र0 पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा–40 के तहत कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया था। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कुसमी जिला सीधी में प्रचलित रहा। उपखण्ड अधिकारी कुसमी द्वारा म0प्र0 शासन ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ– 5–2–2017–बाईस–पी–1 दिनांक 01.05.17 के परिपालन में प्रकरण को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी को प्रेषित कर दिया गया था।

जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सीधी जिला सीधी अपने पत्र कमांक 4163/जि.शि.के./निर्माण/2018 दिनांक 05.10.2018 से प्रतिवेदित किया गया कि मा.शा.उमरिया का अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य पूर्ण होकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच/तत्कालीन सचिव के विरुद्ध वसूली योग्य राशि निरंक उल्लेखित किया गया है।

अतः जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सीधी जिला सीधी अपने पत्र कमांक 4163/जि.शि.के./निर्माण/2018 दिनांक 05.10.2018 के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन सरपंच श्रीमती मुन्नीबाई एवं तत्कालीन सचिव श्री मोतीलाल गुप्ता ग्राम पंचायत उमरिया के विरुद्ध वसूली राशि निरंक होने से धारा–92 का प्रकरण समाप्त किया जाता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)

क्रमांक/ 1613 /जि.पं./न्याया./धारा–92/2019, सीधी दिनांक 05/02/2019

प्रतिलिपि:–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी की ओर सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी पचायत प्रकोष्ठ जिला पंचायत सीधी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. स्टेनोंटू–मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी।
4. संबंधीजन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत उमरिया जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)

फार्म 'अ' (2)

आदेश-पत्र (न्यायालय जिला पंचायत आर्डर शीट)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के न्यायालय में मामला क्रमांक 118 सन 2017

धारा धारा-92

ग्राम पंचायत कुसमी जनपद पंचायत कुसमी तहसील कुसमी कलेक्टर का क्रमांक

आदेश क्रमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही	जहाँ आवश्यक हो पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर आदेश के पालन करवाकर लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और प्रकरण की तारीख
1	2	3
	अनावेदक सचिव उप०। उनके द्वारा सी.सी. फोटोग्राफ्स प्रस्तुत नहीं। पेशी दिनांक 29.12.17	[signature]
29.12.17	प्रकरण प्रस्तुत। अनावेदक सरपंच। सचिव उप. नहीं। पीठासीन अधिकारी अन्य शास. कार्य में व्यस्त। पेशी दिनांक 18.1.18 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)	
18.1.18	प्रकरण प्रस्तुत। सचिव उपस्थित। सचिव द्वारा बताया कि अतिरिक्त कक्ष मा०शा० कुमहू निर्माण कार्य को पूर्ण करा दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रकरण में कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है। [signature] मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)	[signature]

KEXAMS

न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा (म0प्र0)
12 NOV 2018
परीक्षक

1. श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया, जनपद पंचायत मझौली, जिला सीधी (म0प्र0)

2. हरिभजन यादव उप सरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया, जनपद पंचायत मझौली, जिला सीधी (म0प्र0) ....अपीलार्थीगण

1195
12-11-2018

बनाम

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली, जिला सीधी (म0प्र0)

..................उत्तरवादी

Presented by Shri राजेन्द्र पाण्डेय
Advocate Applicant on
R-I

Supdt.
Commissioner's office
Rewa Division
Rewa (M.P.)

अपील विरूद्ध विहित प्राधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के प्रकरण कमांक 27/धारा 40/2018 में पारित दिनांक 01/11/2018 के विरूद्ध

अंतर्गत धारा म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम धारा 95 एवं म0प्र0 पंचायत (अपील एवं पुनरीक्षण) अधिनियम 1995 के अंतर्गत निर्मित नियम 3

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य यह है कि अपीलार्थिया कमांक 1 ग्राम ... की जनता के द्वारा निर्वाचित सरपंच है एवं अपीलार्थी

लक्ष्मीदेवी बहेलिया/शासन

राजस्व आदेश अनुवृत्ति –पत्र

प्रकरण क्रमांक– 130/अपील/2018-19

आर0सी0एम0एस0 प्र0क्रमांक – 0157/अपील/2018–19

(1)	(2)	(3)
12 SEP 2019	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया।	

2/– अपीलार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र पाण्डेय द्वारा यह अपील मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीधी के प्रकरण क्रमांक 27/धारा–40/2018 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2018 के विरूद्ध म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 95 एवं म0प्र0 पंचायत (अपील एवं पुनरीक्षण) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत निर्मित नियम 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

3/– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मझौल के प्रतिवेदन दिनांक 12 जून 2018 के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीधी ने पत्र क्रमांक 9729/जि0पं0/न्याय0/2018 दिनांक 27.10.2018 से श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया एवं उपसरपंच हरिभजन यादव को म0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा–40 की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसमें कुल चार आरोप अपीलार्थीगण के उपर लगाए गए जो निम्नानुसार हैः–

आरोप बिन्दु क्रमांक 01 – पंच परमेश्वर योजना की राशि ई0पी0ओ0 के माध्यम से दिनांक 17.10.2015 से 21.07.2016 तक पृथक–पृथक अपने सगे भाई अजीत सिंह के नाम भुगतान करने के आरोप के जबाव में सचिव द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अजीत सिंह मेरा सगा भाई है, किंतु मेरे परिवार से पृथक निवास एवं व्यापार करता है। अजीत सिंह के नाम व्यापार से सम्बंधित रजिस्टर्ड फर्म है। ग्राम पंचायत के आदेशानुसार सम्बंधित सामग्री की सप्लाई कराई गई है। जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत को दी गई, ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच के प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पारित निर्णय के अनुसार तैयार की गई कार्ययोजना एवं परिसम्पत्ति रख रखाव हेतु प्राथमिकता क्रम से कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार विकास कार्यो का कार्य कराया तथा मूल्यांकन उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के द्वारा सत्यापित किया गया तथा ग्राम पंचायत के निर्णय अनुसार भुगतान किया गया है।

आरोप बिन्दु क्रमांक 02 – आप द्वय ने कथन में यह लेख कराया है कि उक्त कार्य एवं मुख्य मार्ग में रमेश सिंह के घर तक रोड में पूर्व सरपंच श्रीमती विमला सिंह द्वारा कार्य कराया गया, वर्तमान सरपंच लक्ष्मी देवी के द्वारा मुरमीकरण एवं मरमम्मत का कार्य नहीं कराया गया, किन्तु कथन दिनांक 13.04.2018 को पुनः कार्य होना एवं भुगतान किया जाना स्वीकार किया गया। मुख्य मार्ग से शंकर दयाल कोल के घर तक पंचायत से रोड़ मुरमीकरण 2015–16 में कराया गया है, वर्तमान में पीसीसी रोड़ निर्मित है। आरोप में अजीत सिंह बेण्डर के नाम से भुगतान की गई दस किता राशि रूपए 3,96,800.00 उल्लेख किया गया है।

TRUE COPY

(1)	(2)	(3)
	आरोप बिन्दु क्रमांक 03 – पंचमुख प्रेस के नाम कप्यूटर संधारण स्टेशनरी एवं कार्यालीन व्यस्था हेतु स्टेशनरी भुगतान रूपये 20000.00 एवं 15000.00 बैठक दिनांक 28.12.2015 प्रस्ताव क्र. 01 में अनुमोदित किया गया तथा शोलर लाइट 6 नग एवं 5 नग खरीदी रूपये 75000.00 बैठक दिनांक 02.03.2016 प्रस्ताव क्र. 05 एवं बैठक दिनांक 26.08.2016 प्रस्ताव क्र. 03 भुगतान 54000.00 वेंडर प्रेम ट्रेडर्स को किया गया। जांच के दौरान सचिव द्वारा सार्वजनिक स्थल एवं धार्मिक स्थलो में शोलर लाइट लगाने का सत्यापन कराया गया जो कि ग्रामीण जन की प्रकाश शुख सुविधा की उपयोगिता में लाया गया है जो अत्यंत आवश्यक था सचिव द्वारा भण्डारण क्रय नियम का पालन नहीं किया गया तथा वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति के सम्बन्ध में कोई पत्राचार की कार्यवाही नहीं किया गया जिसके लिए आरोपी है। आरोप बिन्दु क्रमांक 04 – ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक को प्रभारी सचिव के रूप में सचिवीय दायित्व के निर्वहन की कार्यवाही हेतु नियुक्त किया गया, जिसमे ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 7 का पालन किया गया, किंतु धारा–7 (क) एवं 7 (ख) तथा धारा 46 का पालन सरपंच/सचिव द्वारा नहीं किया गया है। तथा ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली का अनुभव न होने के कारण शासन की अनुदान राशि पंच परमेश्वर योजना मद के मापदंड अनुसार व्यय करने की प्रक्रिया की भूल की है। तथा भुगतान की कार्यवाही पंचो से छिपाया गया है। आरोप के पश्चात सचिव द्वारा कई अभिलेख मापदंड के अनुकूल तैयार किये जाने का प्रयास किया है जिसमें उपसरपंच श्री हरिभजन यादव ग्राम पंचायत की समस्त बैठक कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर कर 4 पी.एम. लेख किया है, जिससे कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत होती है। उपसरपंच भी इस प्रकरण में दोषी है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंचगण भी हस्ताक्षर किये है। सचिव ने अभिलेख तैयार करते समय काफी भूल किया है। कई भुगतान की कार्यवाही पूर्णरूपेण अनुभव के अभाव पर किया है जिसमें वह अपने सगे भाई के नाम फर्म होने के कारण भुगतान होने की कार्यवाही कर काफी वित्तीय अनियमितता प्रदर्शित किया है जिसके लिये सरपंच, रोजगार सहायक दोषी पाये गये। चूंकि ग्राम पंचायत नौढ़िया के सरपंच श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया को भी इस सम्बन्ध में कोई विशेष अनुभव न होने से उनके पति के द्वारा सचिव के साथ सरपंच कर्तव्य पालन में अपना सहयोगा दिया जाना पाया गया है, और ग्राम पंचायत के कई अनुभवी वरिष्ठ पंचो का पूर्ण सहयोग न लेते हुए भुगतान की कार्यवाही तथा गाम पंचायत के कार्यवाही लेख विषयक जानकारी प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं कराई गयी है। कथन जांच दिनांक 07.04.2018 को उपसरपंच एवं पंच राममिलन वर्मा का कथन सत्य है। आरोप को प्रमाणित करता है। सोलर लाईट क्रय रूपये 129000.00 का किया गया व्यय भण्डारण क्रय नियम के प्रतिकूल होने से वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में पाये गये है तथा कार्य में कार्यरत मजदूर की मजदूरी का	

TRUE COPY

लक्ष्मीदेवी बहेलिया / शासन

राजस्व आदेश अनुवृत्ति – पत्र,

प्रकरण क्रमांक– 130/अपील/2018 19

आर0सी0एम0एस0 प्र0क्रमांक – 0157 / अपील / 2018–19

(1)	(2)	(3)
	भुगतान का कैशबुक में कहीं इन्द्राज नहीं किया गया है। एवं कई कार्यो के जारी पूर्णता प्रमाण पत्र में भी मजदूरी के सम्बंध में लेख नहीं किया गया है। अरोपित बिन्दुओ के समस्त भुगतान ग्राम पंचायत कार्यवाही पंजी एवं ग्राम सभा कार्यवाही पंजी में दर्ज पाया गया हैं, जिसे जांच के दौरान दिनांक 13.04.2018 को पंचो द्वारा कथन करते हुये स्वीकार किया गया तथा आरोपित राशि में अजीत सिंह के नाम सरपंच द्वारा किया गया भुगतान वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में पाया गया है तथा कूट रचित बिल वाउचर तैयार किये जाकर शासन की धनराशि रूपये 3,96,800.00 की क्षति की गयी है एवं उपरोक्त आरोपों में की गयी कार्यवाही के पश्चात ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही पंजी कूटरचित तरीके से तैयार कराई गयी है जो लोकहित एवं शासन हित में नहीं है। 4/– अपीलार्थीगण द्वारा अपने जवाब में उक्त सभी आरोपों का खण्डन किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलार्थीगण के उपर लगाए गए आरोप क्रमांक 02 में पंचायत सचिव द्वारा अपने भाई अजीत सिंह को वेंण्डर के रूप में राशि रूपए 3,96,800.00 के भुगतान का है। प्रकरण में संलग्न अभिलेखो से यह भी प्रमाणित है कि उक्त भुगतान की गई राशि का पूर्णता प्रमाण पत्र भी संम्बधित अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी सरपंच द्वारा अपने लिखित तर्क में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति की महिला है तथा कम पढ़ी–लिखी है। लेखन सम्बंधी त्रुटियों के लिए पंचायत सचिव दोषी है। जिला पंचायत सीधी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थीगण के उपर कोई वित्तीय अनियमितता होने एवं शासकीय राशि के गवन किए जाने के कोई आरोप नही है। म0प्र0 पंचायत राज अधिनियम के तहत् धारा–40 का उपयोग तभी किया जायेगा जब घनघोर अनियमितता तथा अवचार का दोषी भारत की प्रभुता एवं एकता अखंडता तथा समरस्ता के विपरीत हो, तब उसे पद से पृथक किया जायेगा, किन्तु अपीलार्थीगण के मामले में ऐसा कदापि नहीं है। माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के आदेश में अपीलार्थीगण के उपर ऐसा कोई आरोप नहीं हैं, जो अरोप हैं भी वह वित्तीय लेखांकन के संबंध में है। जो कि अपीलार्थीगण के दायित्व के आधीन नहीं आता हैं, जो भी भुगतान किये गये है वो विभागीय क्रय समिति के द्वारा अनुमोदित राशि का भुगतान किया गया है, इस तरह से यह प्रमाणित नहीं है कि अपीलार्थीगण के द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है। 5/– म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि पंचायत पदाधिकारियों का हटाया जाना:– (1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, किसी पदधारी को, किसी भी समय हटा सकेगा– (क) यदि	

TRUE COPY

लायकी देवी बेहालीया / सीधी

(1)	(2)
	वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है, या (ख) यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है। यहाँ अवचार के अन्तर्गत है–भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखण्डता पर या राज्य के सभी लोगो मे समरसता और समान भ्रातृत्व की ऐसी भावना के निर्माण पर जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावो से परे हो या स्त्रियों के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है आदि–आदि।
	6/– अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थीगण के उपर लगाए गए आरोप म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा–40 में की गई उपरोक्त व्याख्या की परिधि में नही आते। अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीधी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध अधिनियम की धारा 40 (1) एवं 40 (2) के तहत कार्यवाही की गई है, उचित एवं वैधानिक नही है। जिसे स्थिर नही रखा जा सकता।
	उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीधी का अपीलाधीन आदेश प्रकरण क्रमांक 27/धारा–40/2018 दिनांक 01.11.2018 वैधानिक न होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस भेजा जाए। प्रकरण दायरा पंजी से समाप्त कर अभिलेखागार में संचित किया जाए।
	TRUE COPY
	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी को।
	कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा
	प्रवाचक, कार्यालय आयुक्त, रीवा संभाग, म.प्र.

अभिलेख वापस क्रमांक 156 दिनांक 24/9/14
प्रकरण क्रमांक 27/धारा–40/2018 आदेश दिनांक 1/11/18
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी

1. श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया, जनपद पंचायत मझौली, जिला सीधी (म0प्र0)

2. [illegible] यादव उप सरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया, जनपद पंचायत मझौली, जिला सीधी (म0प्र0) ....अपीलार्थीगण

1195
12-11-2018

<u>बनाम</u>

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली, जिला सीधी (म0प्र0) ....उत्तरवादी

[illegible] By Shri राजेन्द्र पाण्डेय
Advocate/Applicant
R-I

Supdt.
Commissioner's office
Rewa Division
Rewa (M.P.)

अपील विरुद्ध विहित प्राधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के प्रकरण क्रमांक 27/धारा 40/2018 में पारित दिनांक 01/11/2018 के विरुद्ध

अंतर्गत धारा म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम धारा 95 एवं म0प्र0 पंचायत (अपील एवं पुनरीक्षण) अधिनियम 1995 के अंतर्गत निर्मित नियम 3

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य यह है कि अपीलार्थिया क्रमांक 1 ग्राम [illegible] की जनता के द्वारा निर्वाचित सरपंच है एवं अपीलार्थी [illegible] के द्वारा चुना गया सदस्य है

लक्ष्मीदेवी बहेलिया/शासन

राजस्व आदेश अनुवृत्ति –पत्र

प्रकरण क्रमांक– 130/अपील/2018-19

आर0सी0एम0एस0 प्र0क्रमांक – 0157/अपील/2018–19

(1)	(2)	(3)
12 SEP 2019	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। 2/– अपीलार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र पाण्डेय द्वारा यह अपील मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज़िला पंचायत सीधी के प्रकरण क्रमांक 27/धारा–40/2018 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2018 के विरूद्ध म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 95 एवं म0प्र0 पंचायत (अपील एवं पुनरीक्षण) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत निर्मित नियम 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 3/– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मझौल के प्रतिवेदन दिनांक 12 जून 2018 के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीधी ने पत्र क्रमांक 9729/जि0पं0/न्याय0/2018 दिनांक 27.10.2018 से श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया एवं उपसरपंच हरिभजन यादव को म0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा–40 की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसमें कुल चार आरोप अपीलार्थीगण के उपर लगाए गए जो निम्नानुसार है:– **आरोप बिन्दु क्रमांक 01** – पंच परमेश्वर योजना की राशि ई0पी0ओ0 के माध्यम से दिनांक 17.10.2015 से 21.07.2016 तक पृथक–पृथक अपने सगे भाई अजीत सिंह के नाम भुगतान करने के आरोप के जबाव में सचिव द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अजीत सिंह मेरा सगा भाई है, किंतु मेरे परिवार से पृथक निवास एवं व्यापार करता है। अजीत सिंह के नाम व्यापार से सम्बंधित रजिस्टर्ड फर्म है। ग्राम पंचायत के आदेशानुसार सम्बंधित सामग्री की सप्लाई कराई गई है। जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत को दी गई, ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच के प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पारित निर्णय के अनुसार तैयार की गई कार्ययोजना एवं परिसम्पत्ति रख रखाव हेतु प्राथमिकता क्रम से कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार विकास कार्यो का कार्य कराया तथा मूल्यांकन उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के द्वारा सत्यापित किया गया तथा ग्राम पंचायत के निर्णय अनुसार भुगतान किया गया है। **आरोप बिन्दु क्रमांक 02** – आप द्वय ने कथन में यह लेख कराया है कि उक्त कार्य एवं मुख्य मार्ग में रमेश सिंह के घर तक रोड़ में पूर्व सरपंच श्रीमती विमला सिंह द्वारा कार्य कराया गया, वर्तमान सरपंच लक्ष्मी देवी के द्वारा मुरमीकरण एवं मरमम्मत का कार्य नहीं कराया गया, किन्तु कथन दिनांक 13.04.2018 को पुनः कार्य होना एवं भुगतान किया जाना स्वीकार किया गया। मुख्य मार्ग से शंकर दयाल कोल के घर तक पंचायत से रोड़ मुरमीकरण 2015–16 में कराया गया है, वर्तमान में पीसीसी रोड़ निर्मित है। आरोप में अजीत सिंह बेण्डर के नाम से भुगतान की गई दस किता राशि रूपए 3,96,800.00 उल्लेख किया गया है।	

TRUE COPY

(1)	(2)
	आरोप बिन्दु **क्रमांक 03** – पंचमुख प्रेस के नाम कप्यूटर संधारण स्टेशनरी एवं कार्यालीन व्यस्था हेतु स्टेशनरी भुगतान रूपये 20000.00 एवं 15000.00 बैठक दिनांक 28.12.2015 प्रस्ताव क्र. 01 में अनुमोदित किया गया तथा शोलर लाइट 6 नग एवं 5 नग खरीदी रूपये 75000.00 बैठक दिनांक 02.03.2016 प्रस्ताव क्र. 05 एवं बैठक दिनांक 26.08.2016 प्रस्ताव क्र. 03 भुगतान 54000.00 वेंडर प्रेम ट्रेडर्स को किया गया। जांच के दौरान सचिव द्वारा सार्वजनिक स्थल एवं धार्मिक स्थलो में शोलर लाइट लगाने का सत्यापन कराया गया जो कि ग्रामीण जन की प्रकाश शुख सुविधा की उपयोगिता में लाया गया है जो अत्यंत आवश्यक था सचिव द्वारा भण्डारण क्रय नियम का पालन नहीं किया गया तथा वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति के सम्बन्ध में कोई पत्राचार की कार्यवाही नहीं किया गया जिसके लिए आरोपी है। **आरोप बिन्दु क्रमांक 04** – ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक को प्रभारी सचिव के रूप में सचिवीय दायित्व के निर्वहन की कार्यवाही हेतु नियुक्त किया गया, जिसमे ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 7 का पालन किया गया, किंतु धारा–7 (क) एवं 7 (ख) तथा धारा 46 का पालन सरपंच/सचिव द्वारा नहीं किया गया है। तथा ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली का अनुभव न होने के कारण शासन की अनुदान राशि पंच परमेश्वर योजना मद के मापदंड अनुसार व्यय करने की प्रक्रिया की भूल की है। तथा भुगतान की कार्यवाही पंचो से छिपाया गया है। आरोप के पश्चात सचिव द्वारा कई अभिलेख मापदंड के अनुकूल तैयार किये जाने का प्रयास किया है जिसमें उपसरपंच श्री हरिभजन यादव ग्राम पंचायत की समस्त बैठक कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर कर 4 पी.एम. लेख किया है, जिससे कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत होती है। उपसरपंच भी इस प्रकरण में दोषी है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंचगण भी हस्ताक्षर किये है। सचिव ने अभिलेख तैयार करते समय काफी भूल किया है। कई भुगतान की कार्यवाही पूर्णरूपेण अनुभव के अभाव पर किया है जिसमें वह अपने सगे भाई के नाम फर्म होने के कारण भुगतान होने की कार्यवाही कर काफी वित्तीय अनियमितता प्रदर्शित किया है जिसके लिये सरपंच, रोजगार सहायक दोषी पाये गये। चूंकि ग्राम पंचायत नौढ़िया के सरपंच श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया को भी इस सम्बन्ध में कोई विशेष अनुभव न होने से उनके पति के द्वारा सचिव के साथ सरपंच कर्तव्य पालन में अपना सहयोगा दिया जाना पाया गया है, और ग्राम पंचायत के कई अनुभवी वरिष्ठ पंचो का पूर्ण सहयोग न लेते हुए भुगतान की कार्यवाही तथा गाम पंचायत के कार्यवाही लेख विषयक जानकारी प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं कराई गयी है। कथन जांच दिनांक 07.04.2018 को उपसरपंच एवं पंच राममिलन वर्मा का कथन सत्य है। आरोप को प्रमाणित करता है। सोलर लाईट क्रय रूपये 129000.00 का किया गया व्यय भण्डारण क्रय नियम के प्रतिकूल होने से वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में पाये गये है तथा कार्य में कार्यरत मजदूर की मजदूरी का

TRUE COPY

(1)	(2)	(3)

भुगतान का कैशबुक में कहीं इन्द्राज नहीं किया गया है। एवं कई कार्यो के जारी पूर्णता प्रमाण पत्र में भी मजदूरी के सम्बंध में लेख नहीं किया गया है। अरोपित बिन्दुओ के समस्त भुगतान ग्राम पंचायत कार्यवाही पंजी एवं ग्राम सभा कार्यवाही पंजी में दर्ज पाया गया हैं, जिसे जांच के दौरान दिनांक 13.04.2018 को पंचो द्वारा कथन करते हुये स्वीकार किया गया तथा आरोपित राशि में अजीत सिंह के नाम सरपंच द्वारा किया गया भुगतान वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में पाया गया है तथा कूट रचित बिल वाउचर तैयार किये जाकर शासन की धनराशि रूपये 3,96,800.00 की क्षति की गयी है एवं उपरोक्त आरोपों में की गयी कार्यवाही के पश्चात ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही पंजी कूटरचित तरीके से तैयार कराई गयी है जो लोकहित एवं शासन हित में नहीं है।

4/– अपीलार्थीगण द्वारा अपने जवाब में उक्त सभी आरोपों का खण्डन किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलार्थीगण के उपर लगाए गए आरोप क्रमांक 02 में पंचायत सचिव द्वारा अपने भाई अजीत सिंह को वेंण्डर के रूप में राशि रूपए 3,96,800.00 के भुगतान का है। प्रकरण में संलग्न अभिलेखो से यह भी प्रमाणित है कि उक्त भुगतान की गई राशि का पूर्णता प्रमाण पत्र भी संम्बधित अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी सरपंच द्वारा अपने लिखित तर्क में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति की महिला है तथा कम पढ़ी–लिखी है। लेखन सम्बंधी त्रुटियों के लिए पंचायत सचिव दोषी है। जिला पंचायत सीधी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थीगण के उपर कोई वित्तीय अनियमितता होने एवं शासकीय राशि के गवन किए जाने के कोई आरोप नही है। म0प्र0 पंचायत राज अधिनियम के तहत् धारा–40 का उपयोग तभी किया जायेगा जब घनघोर अनियमितता तथा अवचार का दोषी भारत की प्रभुता एवं एकता अखंडता तथा समरस्ता के विपरीत हो, तब उसे पद से पृथक किया जायेगा, किन्तु अपीलार्थीगण के मामले में ऐसा कदापि नहीं है। माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के आदेश में अपीलार्थीगण के उपर ऐसा कोई आरोप नहीं हैं, जो अरोप हैं भी वह वित्तीय लेखांकन के संबंध में है। जो कि अपीलार्थीगण के दायित्व के आधीन नहीं आता हैं, जो भी भुगतान किये गये है वो विभागीय क्रय समिति के द्वारा अनुमोदित राशि का भुगतान किया गया है, इस तरह से यह प्रमाणित नहीं है कि अपीलार्थीगण के द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है।

5/– म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि पंचायत पदाधिकारियों का हटाया जानाः– (1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, किसी पदधारी को, किसी भी समय हटा सकेगा– (क) यदि

TRUE COPY

लक्ष्मीदेवी बेहलिया सिंगल

(1)	(2)
अभिलेख वापस प्राप्त क्र० 156 दिनांक 28/9/18 प्र०क्र० 27/धारा-40/2018 पुनः प्र० 04/धारा-40/अपील 345-पंचायत दिनांक 1/11/18	वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है, या (ख) यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है। यहाँ अवचार के अन्तर्गत है–भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखण्डता पर या राज्य के सभी लोगो मे समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की ऐसी भावना के निर्माण पर जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावो से परे हो या स्त्रियों के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है आदि–आदि। 6/– अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थीगण के उपर लगाए गए आरोप म०प्र० पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा–40 में की गई उपरोक्त व्याख्या की परिधि में नही आते। अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीधी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध अधिनियम की धारा 40 (1) एवं 40 (2) के तहत कार्यवाही की गई है, उचित एवं वैधानिक नही है। जिसे स्थिर नही रखा जा सकता। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीधी का अपीलाधीन आदेश प्रकरण क्रमांक 27/धारा–40/2018 दिनांक 01.11.2018 वैधानिक न होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस भेजा जाए। प्रकरण दायरा पंजी से समाप्त कर अभिलेखागार में संचित किया जाए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी को TRUE COPY कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा प्रवाचक, कार्यालय आयुक्त, रीवा संभाग, म.प्र.

(333)

न्यायालय विहित प्राधिकारी / मुख्य कार्यपलन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)

(1)

प्रकरण क्रमाक–27 / धारा–40 / 2018
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी
विरूद्ध
श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच, ग्राम पंचायत नौढिया
श्री हरिभजन यादव उपसरपंच ग्राम पंचायत नौढिया
जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी

आदेश दिनांक 01/11/18

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचायत मझौली के पत्र क्रमांक–1553 / ज.पं. / 2018 दिनाक 12 जून 2018 के प्रस्ताव / प्रतिवेदन अनुसार पत्र क्रमांक–9729 / जि.प. / न्याय. / 2018 दिनांक 27.10.2018 द्वारा श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच एवं पत्र क्रमांक–9727 दिनांक 27.10.2018 द्वारा श्री हरिभजन यादव उपसरपच, ग्राम पंचायत नौढिया जनपद पचायत मझौली जिला सीधी को म.प्र. पचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम–1993 की धारा–40 की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अनावेदकगणों द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया। जॉचकर्ता सदस्य / अधिकारियों, (अभियोजन साक्ष्यों) बयान अभिकथन लिए गये तथा अनावेदकगणों को प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया। प्रतिपरीक्षण उपरान्त तर्क श्रवण किया जाकर प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया।

2 **श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच एवं श्री हरिभजन यादव उपसरपंच द्वारा किये गये कदाचरण एवं उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप समान हैं। आरोपित घटना का विवरण बिन्दुवार निम्नानुसार है** :–

ग्राम पचायत **नौढ़िया** अंतर्गत कई निर्माण कार्यो पर कार्य न कराये जाने के बावजूद भी राशि आहरित कर बेंडर के नाम भुगतान किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कई कृत्य आप द्वय द्वारा किये गये है।

आरोप बिन्दु क्रमांक–1 पंच परमेश्वर योजना की राशि ई.पी.ओ. के मध्याम से दिनांक 17. 10.015 से 21.07.2016 तक पृथक–पृथक अपने सगे भाई अजीत सिंह के नाम भुगतान करने के आरोप के जबाव में सचिव द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अजीत सिह मेरा सगा भाई है किंतु मेरे परिवार से पृथक निवास एव व्यापार करता है। अजीत सिह के नाम व्यापार से सम्बंधित रजिटर्ड फर्म है। ग्राम पंचायत के आदेशानुसार सम्बंधित सामग्री की सप्लाई कराई गई है। जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत को दी गई, ग्राम पंचायत के सरपच, पंच के प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पारित निर्णय के अनुसार तैयार की गई कार्ययोजना एव परिसम्पत्ति रख रखाव हेतु प्राथमिकता क्रम से कार्यो की तकनीकी एव प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार विकास कार्यो का कार्य कराया गया तथा मूल्यांकन उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के द्वारा सत्यापित किया गया तथा ग्राम पंचायत के निर्णय अनुसार भुगतान किया गया है।

01/11/18

बिन्दु क्रमांक–2 आप द्वय ने कथन में यह लेख कराया है कि उक्त कार्य एवं मुख्य मार्ग से रमेश सिह के घर तक रोड़ में पूर्व सरपच श्रीमती विमला सिंह द्वारा कार्य कराया गया, वर्तमान सरपच लक्ष्मी देवी के द्वारा मुरमीकरण एव मरम्मत का कार्य नही कराया गया, किन्तु कथन दिनाक 13.04.2018 को पुनः कार्य होना एवं भुगतान किया जाना स्वीकार किया गया। मुख्य मार्ग से शकर दयाल कोल के घर तक पचायत से रोड मुरमीकरण 2015–2016 मे कराया गया है, वर्तमान में पीसीसी रोड़ निर्मित है। अजीत सिह वेण्डर के नाम भुगतान की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	कार्य का नाम / विवरण	मूल्यांकित राशि एवं ग्राम पंचायत प्रस्तावनुसार	भुगतान राशि	वेण्डर के नाम भुगतान
1	कधे लाल के घर से शिवराम साहू के घर तक रास्ताा मरम्मवत मुरमीकरण	44019.00	41650.00	अजीत सिंह
	कधे लाल के घर से शिवराम साहू के घर तक रास्ताा मरम्मवत मुरमीकरण	उपयंत्री द्वारा	1145.00	अजीत सिंह
2	हैण्ड पम्प संधारण	ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 28 / 01 / 2016 प्रस्ताव क्र. 1	32200.00	अजीत सिंह
3	विद्युत फिटिंग सामुदायिक एवं पचायत भवन	ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 28 / 01 / 2016 प्रस्ताव क्र. 4	42500.00	अजीत सिंह
4	मुख्य मार्ग से रमेश सिह के घर तक रास्ता मरम्मत	44068.00	22000.00	अजीत सिंह
5	तिजिया सार्केत के घर से महान नदी पहुच मार्ग रास्त मरम्मत / मार्ग मे केसिंग पाइप	42496.00 उपयात्री द्वारा मूल्यांकित राशि / ग्राम पंचायत बैठक दिनक 03 / 04 / 2016 प्रस्ताव क्र. 02 मे अनुमोदित	42496.00 1318.00	अजीत सिंह
6	पचायत भवन परिशर का समतली करण / मैदान समतलीकरण हाई स्कूल नौढिया मुरमी करण / मैदान समतली करण	उपयंत्री द्वारा मूल्यंकित 23583.00 24526.00	23583.00 20667.00 3859.00	अजीत सिंह
7	मुख्य मार्ग से शकर दयाल के घर तक रास्ता मरम्मत	44382.00	44382.00	अजीत सिंह
8	ग्राम उदय से भारत उदय मे प्रचार प्रशार	ग्राम पंचायत बैठक प्रस्ताव दिनांक 08 / 04 / 2016 क्र. 01	5000.00	अजीत सिंह
9	टैकर 5000 लीटर क्रय भुगतान	ग्राम पचायत बैठक दिनक 17 / 04 / 2016 प्रस्ताव क्र. 03 मे अनुमोदित	60000.00	अजीत सिंह

01/11/18

10	पचायत भवन मे इंवर्टर की बैट्री 1005 लेजर सेंटेक्स 1000 लीटर नल फिटिंग , सामुदायिक भवन का चेनल गेट	ग्राम पचायत बैठक दिनाक 08 / 06 / 2016 प्रस्ताव क्र 02 मे अनुमोदित	60000.00	अजीत सिंह
	योग		396800.00	

(3)

आरोप बिन्दु क्रमांक–3 पंचमुख प्रेस के नाम कम्प्यूटर संधारण स्टेशनरी एव कार्यालीन व्यस्था हेतु स्टेशनरी भुगतान रूपये 20000.00 एवं 15000.00 बैठक दिनांक 28.12.2015 प्रस्ताव क्र.01 मे अनुमोदित किया गया तथा शोलर लाइट 6 नग एवं 5 नग खरीदी रूपये 75000.00 बैठक दिनांक 02.03.2016 प्रस्ताव क्र. 05 एव बैठक दिनांक 26.08.2016 प्रस्ताव क्र. 03 भुगतान 54000.00 वेडर प्रेम ट्रेडर्स को किया गया। जांच के दौरान सचिव द्वारा सार्वजनिक स्थल एवं धार्मिक स्थलो में शोलर लाइट लगाने का सत्यापन कराया गया जो कि ग्रामीण जन की प्रकाश शुख सुविधा की उपयोगिता मे लाया गया है जो अत्यंत आवश्यक था सचिव द्वारा भण्डारण क्रय नियम का पालन नही किया गया तथा वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति के सम्बन्ध में कोई पत्राचार की कार्यवाही नहीं किया गया जिसके लिए आरोपी है।

आरोप बिन्दु क्रमांक–4 उक्त आरोप के सम्बन्ध में ई.पी.ओ. के माध्यम से वित्तीय अनियमितता के आरोप प्रचलित हैं आप द्वय के प्रस्तुत जबाव में संलग्न अभिलेख की छायाप्रति एवं मूल अभिलेख तथा निर्माण कार्य स्थल के सत्यापन पश्चात यह पाया गया की सम्बंधित ग्राम के रोजगार सहायक को प्रभारी सचिव के रूप में सचिवीय दायित्व के निर्वहन की कार्यवाही हेतु नियुक्त किया गया, जिसमे ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 7 का पालन किया गया, किंतु धारा–7 (क) एव 7 (ख) तथा धारा 46 का पालन सरपंच / सचिव द्वारा नही किया गया है। तथा ग्राम पचायत की कार्य प्रणाली का अनुभव न होने के कारण शासन की अनुदान राशि पच परमेश्वर योजना मद के मापदड अनुसार ब्यय करने की प्रक्रिया की भूल की है। तथा भुगतान की कार्यवाही पचो से छिपाया गया है। आरोप के पश्चात सचिव द्वारा कई अभिलेख मापदड के अनुकूल तैयार किये जाने का प्रयास किया है जिसमे उपसरपंच श्री हरिभजन यादव ग्राम पंचायत की समस्त बैठक कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर कर 4 पी.एम. लेख किया है, जिससे कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत होती है। उपसरपच भी इस प्रकरण मे दोषी है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंचगण भी हस्ताक्षर किये है। सचिव ने अभिलेख तैयार करते समय काफी भूल किया है। कई भुगतान की कार्यवाही पूर्णरूपेण अनुभव के अभाव पर किया है जिसमे वह अपने सगे भाई के नाम फर्म होने के कारण भुगतान होने की कार्यवाही कर काफी वित्तीय अनियमितता प्रदर्शित किया है जिसके लिये सरपंच, रोजगार सहायक दोषी पाये गये। चूंकि ग्राम पंचायत नौढिया के सरपंच श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया को भी इस सम्बन्ध में कोई विशेष अनुभव न होने से उनके पति के द्वारा सचिव के साथ सरपंच कर्तव्य पालन मे अपना सहयोग दिया जाना पाया गया है, और ग्राम पचायत के कई अनुभवी वरिष्ठ पंचो का पूर्ण सहयोग न लेते हुए भुगतान की कार्यवाही तथा ग्राम पंचायत के कार्यवाही लेख विषयक जानकारी प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं कराई गयी है। कथन जांच दिनाक 07.04.2018 को उपसरपंच एवं पंच राममिलन वर्मा का कथन सत्य है। आरोप को प्रमाणित करता है। सोलर लाईट क्रय रूपये 129000.00 का

01/11/18

(336)

किया गया व्यय भण्डारण क्रय नियम के प्रतिकूल होने से वित्तीय अनियमितता की श्रेणी मे पाये गये है तथा कार्य मे कार्यरत मजदूर की मजदूरी का भुगतान का कैशबुक में कही इन्द्राज नही किया गया है। एवं कई कार्यो के जारी पूर्णता प्रमाण पत्र मे भी मजदूरी के सम्बध मे लेख नहीं किया गया है। आरोपित बिन्दुओ के समस्त भुगतान ग्राम पंचायत कार्यवाही पजी एव ग्राम सभा कार्यवाही पंजी मे दर्ज पाया गया है, जिसे जांच के दौरान दिनांक 13.04.2018 को पंचो द्वारा कथन करते हुये स्वीकार किया गया तथा आरोपित राशि मे अजीत सिंह के नाम सरपंच द्वारा किया गया भुगतान वितीय अनियमितता की श्रेणी में पाया गया है तथा कूट रचित बिल वाउचर तैयार किये जाकर शासन की धनराशि रूपये 396800.00 की क्षति की गयी है एवं उपरोक्त आरोपों में की गयी कार्यवाही के पश्चात् ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही पंजी कूटरचित तरीके से तैयार कराई गयी है जो लोक हित एव शासन हित मे नहीं है। (4)

3. **अनावेदक क्रमांक–1 श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया द्वारा दिनांक 11.10.2018 को उपस्थित होकर कारण बताओ सूचना पत्र में दर्शाये गये, आरोप बिन्दु क्रमांक–01 से 04 के बचाव में बिन्दुवार जबाव प्रस्तुत किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–**

आरोप बिन्दु क्रमांक–01 के बचाव में श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच ने पक्ष समर्थन किया है कि पंचायत द्वारा जो निर्माण कार्य कराये गये हैं उन कार्यो का ग्राम पचायत द्वारा स्वीकृति के उपरान्त उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के तकनीकी स्वीकृति के आधार पर भुगतान किये गये है। पच परमेश्वर योजना के 20 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की राशि परिसम्पत्तियों के रख रखाव एव ग्राम पंचायत की मूलभूत आवश्यकताओ हेतु ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक मे अनुमोदित कार्य कराया जाकर संबंधित उपयत्री एव सहायक यंत्री के द्वारा सत्यापित कराकर ग्राम पंचायत के निर्णय अनुसार सबधित वेण्डर ग्राम मे स्थिति सप्लायर बेण्डर के माध्यम से भुगतान किया गया है। जिला पंचायत द्वारा भुगतान संबंधी आरोप अधिरोपित है कि प्रभारी सचिव अपने सगे भाई अजीत सिंह के नाम संबंधित कार्यो में लगे मटेरियल का भुगतान किया गया है। अजीत सिंह एसोसिएट के माध्यम से रजिस्टर्ड फर्म है इनके द्वारा पूर्व से कई पंचायतों में सामग्री सप्लाई एवं बिक्री का कार्य किया जाता था। चूकि सप्लायर ग्राम पंचायत क्षेत्र का था जो वास्तव में शासन के एस.ओ.आर. के तहत् सामग्री बिक्री की जाती थी। इस कारण से ग्राम पंचायत के निर्णय अनुसार ग्राम पचायत द्वारा निर्माण कार्य में लगी सामग्री क्रय की जाती थी।

आरोप बिन्दु क्रमांक–02 के बचाव में श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच ने पक्ष समर्थन किया है कि खण्ड अधिकारी एवं पी.सी.ओ. के द्वारा सायं 8.00 बजे से ग्राम पंचायत नौढ़िया के पच श्री राममिलन वर्मा के घर में ग्राम पंचायत के बिना सूचना दिये परीक्षण करने गये थे, चूकि शासन द्वारा पत्र में यह उल्लेख था कि जॉच के दौरान खण्ड अधिकारी, पी.सी.ओ., सरपच, सचिव, उपयंत्री की मौजुदगी में जॉच की जानी थी किन्तु खण्ड अधिकारी द्वारा ग्राम पचायत को बिना सूचना के श्री राममिलन वर्मा पंच के घर में 04–06 लोगों को बुलाकर भ्रामक जानकारी देकर यह पूछा गया कि मुख्य मार्ग से रमेश सिंह के घर तक कार्य कराया गया है या नहीं ? चूंकि इस नाम से ग्राम नौढ़िया एवं ग्राम घोघी में रास्ता है उपस्थित सदस्यों को भ्रमित कर कार्य न कराने का उल्लेख किया गया है। जबकि यह कार्य ग्राम नौढिया के बजाय ग्राम घोघी में मुख्य मार्ग से रमेश सिंह के घर तक रास्ता मरम्मत की

01/11/18

तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर कराया गया है. जिसका सत्यापन, मूल्यांकन, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कराकर, ग्राम पचायत के प्रस्तावानुसार भुगतान किया गया है। जब ग्राम पंचायत द्वारा राशि की जॉच के संबध में सी.ई.ओ. मझौली को जानकारी दी गई तब सी.ई.ओ. मझौली द्वारा पुनः जॉच की तारीख 13.04.2018 को दी गई उक्त कार्य के संबध मे दिनाक 13.04.2018 को पुनः जॉच हेतु सम्पूर्ण टीम के सदस्य ग्राम पंचायत में उपस्थित हुए तब ग्रामीणजनों एवं पंचों द्वारा उक्त कार्य के संबध में जबाव दिया गया कि कार्य ग्राम घोघी मे किया गया है जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत के पंचो को थी. उन्ही के आदेशानुसार सत्यापन उपरान्त भुगतान किया गया, मुख्य मार्ग से शकर दयाल कोल के घर तक रास्ता मरम्मत का कार्य तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर ग्राम पंचायत की बैठक अनुसार कराया गया। उक्त कार्य में अजीत सिह एसोसिएट द्वारा मुरम सप्लाई की गई थी जिसका भुगतान पंचायत अनुमोदन उपरान्त किया गया, किन्तु शासन के निर्देशानुसार पी.सी. सी. रोड़ निर्माण का कार्य 14वां वित्त एवं पंच परमेश्वर योजना से कराने का प्रावधान था इसलिए ग्रामवासियों को वर्षा के दिनों में आये समस्याओं को देखते हुए वर्ष 2016–17 में पी. सी.सी. रोड़ का निर्माण करा दिया गया है। **निर्माण कार्यवार विवरण भुगतान राशि का विवरण निम्नानुसार है :–**

क्र.	कार्य का नाम / विवरण	मूल्यांकित राशि एवं ग्राम पंचायत प्रस्तावनुसार	भुगतान राशि	वेण्डर के नाम भुगतान
1	कधे लाल के घर से शिवराम साहू के घर तक रास्ताा मरम्मवत मुरमीकरण	44019.00	41650.00	अजीत सिह
	कधे लाल के घर से शिवराम साहू के घर तक रास्ताा मरम्मवत मुरमीकरण	उपयंत्री द्वारा	1145.00	अजीत सिह
2	हैण्ड पम्प संधारण	ग्राम पंचायत की बैठक दिनाक 28 / 01 / 2016 प्रस्ताव क्र 1	32200.00	अजीत सिह
3	विद्युत फिटिंग सामुदायिक एवं पचायत भवन	ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 28 / 01 / 2016 प्रस्ताव क्र 4	42500.00	अजीत सिह
4	मुख्य मार्ग से रमेश सिह के घर तक रास्ता मरम्मत	44068.00	22000.00	अजीत सिह
5	तिजिया साकेत के घर से महान नदी पहुच मार्ग रास्त मरम्मत / मार्ग मे केसिंग पाइप	42496.00 उपयात्री द्वारा मूल्याकित राशि / ग्राम पचायत बैठक दिनक 03 / 04 / 2016 प्रस्ताव क्र. 02 मे अनुमोदित	42496.00 1318.00	अजीत सिह
6	पचायत भवन परिशर का समतली करण / मैदान समतलीकरण हाई श्कूल नौढिया मुरमी करण / मैदान समतली करण	उपयंत्री द्वारा मूल्यकित 23583.00 24526.00	23583.00 20667.00 3859.00	अजीत सिह
7	मुख्य मार्ग से शंकर दयाल के घर तक रास्ता मरम्मत	44382.00	44382.00	अजीत सिह

01/11/18

(338)

	ग्राम उदय से भारत उदय मे प्रचार प्रशार	ग्राम पचायत बैठक प्रस्ताव दिनाक 08/04/2016 क्र. 01	5000.00	अजीत सिंह
9	टेंकर 5000 लीटर क्रय भुगतान	ग्राम पंचायत बैठक दिनंक 17/04/2016 प्रस्ताव क्र. 03 मे अनुमोदित	60000.00	अजीत सिंह
10	पंचायत भवन मे इवर्टर की बैट्री 1005 लेजर, सेंटेक्स 1000 लीटर, नल फिटिंग, सामुदायिक भवन का चैनल गेट	ग्राम पचायत बैठक दिनांक 08/06/2016 प्रस्ताव क्र. 02 मे अनुमोदित	60000.00	अजीत सिंह
	योग		396800.00	

(6)

उपरोक्त भुगतान ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक एवं उपयंत्री के मूल्यांकन, सहायक यंत्री के सत्यापन के आधार पर पंचायत द्वारा किया गया है।

आरोप बिन्दु क्रमांक–03 के बचाव में श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच ने पक्ष समर्थन किया है कि ग्राम पंचायत के कार्य हेतु स्टेशनरी एवं कम्प्यूटर संधारण के लिए एवं अन्य कार्यालयीन व्यवस्था को देखते हुए पंचायत द्वारा आवश्यकतानुसार क्रय किया जाकर शासन की गाईड लाइन अनुसार पंचायत के बैठक दिनांक 28.12.2015 के प्रस्ताव क्रमांक–01 में अनुमोदित किया गया, ग्राम पंचायत मे ग्राम सभा द्वारा सार्वजनिक स्थलो एवं धार्मिक स्थलों में विद्युत की समस्या को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि गांव से लगा जंगल है, आये दिन जंगली जानवरों का आवागमन बना रहता है, इस कारण से सोलर लाईट लगाने हेतु निर्णय लिया गया हैं। क्रय संधारण (भण्डार क्रय नियम) के संबंध में मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे यह जानकारी थी कि ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसार सामग्री क्रय की जाती है इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा विद्युत व्यवस्था हेतु सोलर लाईट क्रय किया जाकर समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं धार्मिक स्थलों में लगवाया गया। पंचायत द्वारा निरीक्षण उपरान्त दिनांक 02.03.2016 के प्रस्ताव क्रमांक–05 एवं बैठक दिनांक 26.08.2016 के प्रस्ताव क्रमांक–03 में राशि रूपये 75000.00 एवं 54000.00 अनुमोदित उपरान्त भुगतान किया गया, जॉचदलों द्वारा निरीक्षण कर उक्त सोलर लाईटों का सत्यापन भी कराया गया

आरोप बिन्दु क्रमांक–04 के बचाव में श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच ने पक्ष समर्थन किया है कि शासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित कार्य कराने के पूर्व ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित उपरान्त आवश्यकतानुसार शासन की प्राथमिकतानुसार कराने के लिए सबसे पहले उस कार्य की तकनीकी स्वीकृति एवं पंचायत द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाकर संबंधित कार्य एजेन्सी ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराया जाता था, और उपयंत्री द्वारा समय–समय पर उन कार्यो की गुणवत्ता की जॉच कर मूल्यांकन किया जाता था, कार्यो का सहायक यंत्री द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र एवं सत्यापन कराया जाता था इसके उपरान्त ग्राम पंचायत की बैठक में निर्माण कमेटी एवं पंचों द्वारा अनुमोदन कर भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत के द्वारा शासन के पत्र क्रमांक–48 दिनांक 09.04.2013 एवं पत्र क्रमाक–333/475/2016 दिनांक 15.12.2016 के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त ही पंच परमेश्वर योजना की राशि का भुगतान किया गया है। किसी

01/11/18

(33)

प्रकार से भुगतान से संबंधित या अन्य कार्यवाही में उल्लेखित प्रस्ताव को पंचों को अवगत कराने के उपरान्त ही भुगतान किया जाता था। उपसरपंच ग्राम पंचायत की बैठकों में जब उपस्थित होते थे, कार्यवाही पढ़ कर सहमति उपरान्त अपने हस्ताक्षर कर समय अंकित कर देते थे. इसमें ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं थी। कार्यवाही में पंचों द्वारा सहमति के उपरान्त ही अपने हस्ताक्षर करते थे एवं निर्माण कार्य एवं भुगतान कार्यवाही में सहमति के उपरान्त ही पंचायत द्वारा किया जाता था। ग्राम पंचायत नौढ़िया में संचालित दुकान अजीत सिंह एसोसिएट से नजदीक होने के बास्ते सही दर में प्राप्त होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री सप्लाई हेतु आदेशित किया जाता था। और उक्त सामग्री का भुगतान मूल्यांकन पश्चात ही पंचायत द्वारा किया जाता था। मैं ग्राम पंचायत की सरपंच हूँ अपने अनुभव एवं शासन के दिये गये दिशा निर्देश अनुसार सचिव के सहमति एवं ग्राम पंचायत पंच एवं उपसरपंच के सहमति से मैं स्वयं कार्य करती थी, मेरे द्वारा किये गये ग्राम पंचायत के समस्त कार्य एवं मेरे पति का कोई संबंध नहीं था और न ही है। ग्राम पंचायत के वरिष्ठ पंचों का सहयोग लिया जाता था। (7)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी मझौली द्वारा आदेशित किया गया कि ग्राम पंचायत की जॉच एवं सत्यापन के लिए खण्ड अधिकारी श्री हरिशंकर शुक्ला एवं पी.सी.ओ. श्री रोशन लाल गुप्ता, उपयंत्री श्री इन्द्रलाल सिंह एवं वर्तमान सचिव एवं पूर्व प्रभारी सचिव, वर्तमान सरपंच की उपस्थिति में जॉच किया जाना है किन्तु उस दिन उपयंत्री अन्न उत्सव में नोडल अधिकारी के रूप में सिहावल गये थे, खण्ड अधिकारी द्वारा उपयंत्री से दूरभाष के माध्यम से चर्चा की गई तब उपयंत्री द्वारा बताया गया कि मैं सिहावल में नोडल अधिकारी के रूप में ड्यूटी पर हूँ। अन्य दिवस जॉच हेतु तारीख नियत की जाय, तब खण्ड अधिकारी द्वारा वर्तमान सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक को बताया गया कि मैं उपयंत्री को लेकर अगली तारीख को आउगां पर खण्ड पंचायत अधिकारी रात्रि 8:00 बजे सभी जॉचदल के सदस्य, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक को भ्रमित कर स्वयं एवं पी.सी.ओ., राममिलन वर्मा पंच के यहां बैठकर पंच राममिलन वर्मा, उपसरपंच को जॉच संबंधित जानकारी सही न देकर गलत ढंग से जानकारी ली और भ्रमित कर हस्ताक्षर करने रात बाले चौकीदार से एजेन्डा के संबंध में जानकारी ली, किन्तु एजेन्डा तो दिन वाला कर्मचारी लेकर घूमता था, जब यह बात आयी की खण्ड अधिकारी रात्रि में आये थे तब मेरे द्वारा एवं पंचगण द्वारा शिकायत सी.ई.ओ. मझौली को दी गई तब सी.ई.ओ. मझौली पुनः जॉच हेतु दिनांक 13.04.2018 को नई तारीख दी गई जब जॉच दल पुनः पंचायत पर सभी सदस्य आये और जॉच बिन्दु के संबंध में पूछा गया तब उनको सही जानकारी बताई गयी। सभी पंच ने पंचायत बैठक के बारे में बताया कि बैठक होती थी कार्य की एवं भुगतान के संबंध में पंचायत बैठक कार्यवाही में अंकित है, वो सही है, हम सभी की सहमति से निर्माण कार्य एवं मूलभूत आवश्यकता सामग्री क्रय की जाती थी। हम सभी को सभी काम एवं भुगतान के संबंध में जानकारी थी, ग्राम पंचायत द्वारा जो भी बिल का भुगतान हुआ है वह कूटरचित नहीं है। मूल्यांकन व सत्यापन के आधार पर सही वेण्डर का बिल लगाकर भुगतान किया जाता था। शासन की जो धनराशि रूपये 396800.00 खर्च हुआ जिसका मूल्यांकन, सत्यापन एवं पंचायत बैठक के अनुमोदन उपरान्त ही व्यय किया गया है। जो अनियमितता के श्रेणी में नहीं है। खण्ड अधिकारी द्वारा द्वेषपूर्वक

01/11/18

...की गई, आये दिन हमारे सचिव से पैसे की माग की जाती थी, नहीं तो आपकी संविदा समाप्त कर दूंगा एवं आपके सरपंच पर धारा–40 से पद से पृथक कर दूंगा। श्री हरिशकर शुक्ला द्वारा जाति के लोग परेशान कर हम आदिवासी महिला सरपच के कारण पंचायत के कार्य में बहुत परेशान करते थे। जो भी कार्य की हूँ जनलोक हित में ही की हूँ शासन के हित के कार्य थे मुझ सरपंच से जो गलती हुई है क्षमा प्रार्थी हूँ। झूठे आरोप से बाहर कर धारा–40 समाप्त किये जाने की कृपा की जाय। (9)

4. **उपरोक्त आरोप के बचाव में अनावेदक क्रमांक–2 श्री हरिभजन यादव उपसरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया ने दिनांक 11.10.2018 को उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया। जिसमें उनके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में अधिरोपित आरोप बिन्दु क्रमांक–1, 3 के बचाव में उल्लिखित किया है कि मुझसे संबंधित नहीं है।**

आरोप बिन्दु क्रमांक–02 के बचाव में श्री यादव ने पक्ष समर्थन किया है कि ग्राम पंचायत नौढिया अन्तर्गत मुख्य मार्ग से रमेश सिंह के घर तक रास्ता मरम्मत के नाम से 02 कार्य हुए है, जिसमें से पहला कार्य इसी विवरण के नाम से ग्राम नौढ़िया में हुआ जिसका कार्य पूर्व में पूर्व सरपंच श्रीमती विमला सिंह द्वारा कराया गया था। जबकि इसी विवरण के नाम से दूसरा कार्य ग्राम घोघी वर्तमान सरपंच श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया के द्वारा कराया गया है। जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा की गई प्रथम जॉच के दौरान यह आशय स्पष्ट नहीं किया जा सका था कि जिस कार्य की जानकारी चाही जा रही है, वह ग्राम घोघी की है, अथवा ग्राम नौढिया की है। मैं पुनः यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर रहा हूँ कि मुख्य मार्ग से रमेश सिह के घर तक रास्ता मरम्मत के विवरण के साथ 02 कार्य किये गये हैं। पहला कार्य ग्राम नौढिया में पूर्व में हुआ था, जो कि पूर्व सरपंच श्रीमती विमला सिंह द्वारा कराया गया था। जबकि दूसरा कार्य ग्राम घोघी में हुआ है जिसे वर्तमान सरपंच श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा कराया गया है।

आरोप बिन्दु क्रमांक–04 के बचाव में श्री यादव ने पक्ष समर्थन किया है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनाक में मैं अपने निजी कार्य की व्यस्तता के कारण कभी 04:00PM कभी 03:50PM कभी 04:10PM पर उपस्थित होता रहा है। मेरे द्वारा यर्थाथ समय का उल्लेख किया गया है बैठकों की कार्यवाहियों का अवलोकन किया गया है। सहमति उपरान्त हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं, कोई भी कूटरचना या दोष जॉनबूझकर या अंजाने में नहीं किये जाने का अभिवचन करते हुए शेष तथ्य मुझसे संबंधित नहीं होना दर्शाया है।

5 **अनावेदक श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच एवं श्री हरिभजन यादव उपसरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया जनपद पंचायत मझौली के विरूद्ध लगाये गये आरोप एवं उनके द्वारा प्रस्तुत जबाव में अभिलिखित तथ्यों के परिशीलन उपरान्त दिनांक 25.10.2018 को जॉच अधिकारियों को कथन प्रस्तुत करने हेतु तथा अनावेदक सरपंच एवं उपसरपंच को प्रतिपरीक्षण हेतु आहूत किया गया।** श्री हरिशंकर शुक्ला वी.पी.ओ. (पीठासीन अधिकारी), श्री रोशनलाल गुप्ता पी.सी.ओ. (प्रभारी डी.ओ.) जनपद पंचायत मझौली तथा अनावेदक सरपंच श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया एवं उपसरपंच हरिभजन यादव उपस्थित हुए। **किये गये अभिवचन एवं प्रतिपरीक्षण की स्थिति निम्नानुसार है :–**

01/11/18

अभियोजन साक्षी शिकायत के जॉचकर्ता सदस्य श्री रोशनलाल गुप्ता पी.सी.ओ. द्वारा अभिवचन किया गया कि ग्राम पंचायत नौढिया की शिकायत के जॉच के संबंध में बी.पी.ओ. द्वारा मुझे जॉचदल में सामिल करते हुए कहा गया. निर्धारित दिनांक को ग्राम पंचायत नौढिया में उपस्थित हुआ श्री हरिशंकर शुक्ला बी.पी.ओ. एवं पी.सी.ओ. उपस्थित हुए जॉच में हितग्राहियों का कथन, वयान उपसरपंच एव ग्राम पंचायत सदस्य श्री राममिलन वर्मा की उपस्थिति में लिया गया जॉच के समय अपरान्ह 06:00 बजे गये थे। जॉच बंद कर अगली दिनांक को निर्धारित की गई पुनः मौके पर जाकर नियत दिनांक को जॉच की गई। जॉच प्रतिवेदन मे सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट की गई है। (10)

अभियोजन साक्षी श्री गुप्ता के उपरोक्त अभिवचन के बचाव में श्री हरिभजन यादव उपसरपंच द्वारा प्रति परीक्षण किया गया कि पी.सी.ओ. द्वारा जॉच का समय 06:00 पी.एम. बताया गया है, वह असत्य है जॉच रात को 08:00 बजे की गई है। पंचायत को कोई सूचना नहीं दी गई थी हितग्राहियों एवं मजदूरों के संबंध में मजदूरी नहीं मिलने के किये गये कथन गलत हैं, जो मजदूर रात को जॉच के दौरान उनसे कहलवाया गया था कि आप यह कह देना कि मजदूरी नहीं मिली है, पुनः जॉच दिनांक 13.04.2018 को वही मजदूर मजदूरी पाना स्वीकार किये हैं, तथा मजदूरों ने बताया था कि मजदूरी के संबंध में मेरी कोई शिकायत नहीं है, मुझसे जबरन अर्जी लिखाकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जबकि वास्तविक रूप से शिकायत नहीं किया है।

अभियोजन साक्षी श्री गुप्ता के उपरोक्त अभिवचन के बचाव में अनावेदक लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच द्वारा अभिकथन दर्ज कराया गया कि पी.सी.ओ. गुप्ता ने जॉच का समय 06:00 बजे शायं बताया है, सही नहीं है। रात को 08:00 बजे आये थे जो काम पंचायत के होते हैं या हुए मुझे सचिव द्वारा बताया जाता, मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। सचिव के बताये अनुसार काम करती हूँ हमारे खण्ड अधिकारी श्री हरिशंकर शुक्ला जी मुझे यह कहते थे कि मैं धारा-40 लगवा दूगां. सचिव द्वारा बताया गया था कि श्री शुक्ला जी 1.00 लाख पैसे की मांग कर रहे हैं, सचिव के माध्यम से मैंने रूपये 25000.00 श्री हरिशकर शुक्ला बी.पी.ओ. को दिया है।

7. **उपरोक्त विवेचना के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन/प्रस्ताव एवं आरोपी सरपंच एवं उपसरपंच के विरूद्ध जारी कारण बताओं सूचना पत्र, अभियोजन साक्षी जॉचकर्ता अधिकारी के साक्ष्य/बयान अभिकथन तथा अनावेदक सरपंच/उपसरपंच के द्वारा प्रतिपरीक्षण में दर्ज कराये गये अभिकथन एवं समक्ष में श्रवण किये गये तर्क, साक्ष्य अभिलेखों तथा म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 के सुसंगत प्रावधानों, शासन के नियम निर्देशों के समग्र अवलोकन पर पाया गया कि** म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 की धारा-7 (क) में यह व्यवस्था बताई गई है कि ग्राम के आर्थिक विकास तथा ऐसी स्कीमों की पहचान तथा उनकी प्राथमिकता के लिए सिद्धान्तों को अधिकथित करना तथा धारा-7(ख) में यथावर्णित वर्णित प्रावधान सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए ऐसी योजनाएं जिसमें समस्त वार्षिक योजनाएं सम्मिलित हैं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को ग्राम पंचायत द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों तथा

01/11/18

(342)

...जनाओं का क्रियान्वयन आरम्भ करने से पूर्व अनुमोदित करना। उसी प्रकार धारा–46 ग्राम पंचायत की स्थायी समितिया (1) में यथावर्णित अनुसार ग्राम पंचायत अपने कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए 03 से अनधिक स्थाई समितियां गठित कर सकेंगी और ऐसी समितियां ऐसे शक्तियों का प्रयोग करेंगी जो ग्राम पंचायत द्वारा उनको सौंपी जाय। ये समितियां ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन होगी। (2) कोई भी व्यक्ति एक समय में दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा। (3) स्थायी समितियों के सदस्यों की पदावधि और स्थायी समिति के काम–काज के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाय। धारा–44 सम्मिलन की प्रक्रिया नियम–(4), (6) के प्रावधानों के तहत् नियम (7) में यह व्यवस्था बताई गई है कि यदि यथास्थिति, अध्यक्ष या सरपंच उपधारा–(4) या (6) के अनुसार कार्य करने में कम से कम 03 अवसरों पर असफल रहता है तो वह धारा–40 के अधीन उसके पद से हटा दिये जाने के दायित्वाधीन होगा, और धारा–40 के उपबद्ध उसे लागू होगें जिसे इस प्रकार हटाया गया है। प्रकरण मे जैसा कि जॉच अधिकारियों द्वारा जॉच प्रतिवेदन मे तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली द्वारा कार्यवाही प्रस्ताव प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया द्वारा 10 कार्यो/मदों में कुल रूपये 396800.00 का आहरण व्यय एवं भुगतान दर्शाया गया है, उसी प्रकार सोलन लाईट क्रय में रूपये 129000.00 का आहरण व्यय किया गया है। वर्णित 10 मदों में हैन्डपम्प संधारण में रूपये 32200.00, सामुदायिक एवं पंचायत भवन में विद्युत फिटिंग रूपये 42500.00, टेंकर क्रय में रूपये 60000.00, पंचायत भवन में इन्वार्टर बैक्ट्री लेजर सेन्टेक्स, नल फिटिंग, चयनलगेट में रूपये 60000.00 का व्यय दर्शाया गया है, जिनका सबध पूर्णरूपेण म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम–2015 के प्रावधानों से संबंधित है। म.प्र. शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक–ए–6–15/2012/अ–11 दिनांक 14.01.2015 द्वारा भण्डार क्रय नियम के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित करने के संबंध में निर्धारित वित्तीय सीमाओं का पुनरीक्षण आदेश जारी किये गये हैं। निर्देश कंडिका–3 (1) में यह व्यवस्था बताई गई है कि बिना कोटेशन के सामग्री का क्रय रूपये 15000.00 की सीमा में किया जा सकता है, तथा म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम–2015 भाग–1, वस्तुओं का उपार्जन नियम–09 में व्यवस्था अनुसार रूपये 20000.00 तक के मूल्य की अनारक्षित सामग्री बिना कोटेशन के सामग्री का क्रय किये जाने का प्रावधान है। तथा नियम–10 में वर्णित व्यवस्था अनुसार क्रय समिति के अनुशंसा अनुसार रूपये 20000.00 की वित्तीय सीमा से अधिक और 1.00 लाख तक की अनारक्षित सामग्री का क्रय किये जाने तथा समिति के द्वारा गुणवत्ता और विनिर्देशन बाजार का सर्वेक्षण एवं उपयुक्त अपूर्तिकर्ता की पहचान करेगी। तथा समिति के अनुशंसा के उपरान्त क्रय/प्रदायादेश जारी करने की अनुशंसा करने के पूर्व समिति के सदस्य सामग्री की कीमत, प्रचलित बाजार दर आपूर्तिकर्ता की सिपारिश, प्रश्नगत सामग्री की आपूर्ति करने के लिए विश्वसनीय एवं सक्षम होने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी तत्पश्चात सामग्री का क्रय किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया द्वारा आरोपित आरोप पत्र में दर्शित सामग्रियों के क्रय करने एवं राशि व्यय करने में

Prasad 07/11/18

अभियोजन साक्षी श्री हरिशंकर शुक्ला द्वारा अभिवचन किया गया कि आरोपित बिन्दुओ, ग्राम पचायत का अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए सचिव को निर्देशित किया था, प्रभारी सचिव जी.आर.एस., श्री प्रदीप सिंह द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, कुछ समय पश्चात प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही में वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश, वित्तीय अनियमितता के आरोप मे कार्यवाही हेतु निर्देशित किया, तत्पश्चात दल गठित कर आरोपित बिन्दुआ का मौके पर जाकर स्थल एवं अभिलेखो का सत्यापन पृथक–पृथक दिनांक को दल के साथ किया है जिसमें वित्तीय अनियमितता के आरोप प्रभारी सचिव प्रदीप सिंह द्वारा अपने सगे भाई अजीत सिंह के नाम कई बिलों का भुगतान अनियमित रूप से किया गया तथा मरम्मत कार्य जैसे रोड़ निर्माण, मैदान समतलीकरण के कार्यो में मजदूरी भुगतान से संबंधित कोई अभिलेख एवं मस्टर तैयार नहीं किया गया और न ही मजदूरी भुगतान की गई है। आरोपित राशि के सत्यापन के समय संबंधित ग्राम पंचायत के अभिलेख जॉच में उपस्थित सरपच, उपसरपच एवं पंचगणो के समक्ष सत्यापन के समय पृथक–पृथक पढ़ कर सुनाया गया था जिसमें पंचों एवं उपसरपंच तथा सदस्यों द्वारा किये गये भुगतान में सहमति दी गई थी, अभिलेख में कार्यो के संबंध में सचिव द्वारा तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति एवं मूल्याकन की नस्ती अभिलेख प्रस्तुत किय गये थे प्रतिवेदन में सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट की गई है।

श्री हरिशंकर शुक्ला के उपरोक्त अभिवचन के संबंध में श्री हरिभजन यादव उपसरपंच द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया। श्री यादव ने बचाव पक्ष में कथन किया कि जिस तारीख को ग्राम पंचायत मुख्यालय नौढिया, जॉच दल द्वारा की गई कार्यवाही एवं कथन तथा बाचन की बात कहीं जा रही है उसके 01 हप्ता पहले पंचायत को कोई सूचना दिये बगैर रात को लगभग 09:00 बजे श्री राममिलन वर्मा पंच के घर में गांव के 02–04 लोगों के समक्ष कथन तैयार किया गया था जो सत्य नहीं था, हमारे पंचायत में मुख्य मार्ग से रमेश सिंह के घर तक 02 रोड़ निर्माण है, इस कार्य के बारे में पूछा जा रहा है, 01 निर्माण मेन रोड़ रमेश सिह के घर तक पूर्व सरपंच श्रीमती विमला सिंह द्वारा पी.सी.सी.रोड़ बनवाया था मै भी पूर्व सरपच द्वारा बताई गई पी.सी.सी. रोड के बारे में समझ कर यह बता दिया कि यह रोड जो पूर्व सरपंच द्वारा बनाई गई पुनः 13.04.2018 को इसी के संबंध में पूछा गया तब स्पष्ट किया गया कि मेन रोड से रमेश सिह के घर तक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत ग्राम घोघी मे मेन रोड़ से रमेश सिंह के घर तक वर्तमान सरपंच श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा रास्ता मरम्मत का कार्य कराया गया है। सभी कार्यो के टी.एस., ए.एस. हैं, सी.सी. जारी है। ग्राम सभा एव पंचों की सभा में अनुमोदित है। प्रभारी सचिव प्रदीप सिंह के भाई अजीत सिंह बहुत पहले से वेण्डर का कार्य करते थे इसलिए वर्तमान सरपंच लक्ष्मी देवी द्वारा भी अजीत सिंह वेण्डर को पंचायत का काम दिये जाते हैं।

श्री हरिशंकर शुक्ला के उपरोक्त अभिवचन के बचाव में (प्रतिपरीक्षण में) श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच द्वारा अभिकथन किया गया कि श्री शुक्ला बी. पी.ओ. क बयान के संबंध में उपसरपंच द्वारा प्रतिपरीक्षण मे जो कहा गया वही कथन मेरा भी मान्य किया जाय मैं उपसरपंच के कथन से पूर्ण रूपेण सहमत हूँ।

ORDER PRONOUNCED (2018/41)

01/11/18

भण्डार क्रय नियमों का उलंघन किया जाकर अजीत सिंह वेण्डर के नाम से राशि का भुगतान कर पदीय हैसियत का दुरूपयोग एवं वित्तीय अनियमितता तथा शासकीय राशि का दुर्विनियोग किया जाना प्रमाणित है।

8. ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा निर्माण समितियों का गठन नहीं किया गया, भण्डार क्रय/वित्तीय नियमों के विपरीत श्री अजीत सिंह वेण्डर के नाम किये गये/दर्शाये गये भुगतान की जानकारी पारदर्शिता पूर्वक ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंचों को नहीं दी गई, तथा म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम–1993 की धारा–7 (क) एवं (ख) तथा 46 की वर्णित व्यवस्था से बचने के लिए तथा अनियमितता करने के लिए ग्राम पंचायत स्थायी समितियों का गठन नहीं किया गया है। इस प्रकार श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया के द्वारा वित्तीय अनियमितता किया जाना प्रमाणित है। ग्राम पंचायत की बैठकों से संबंधित तैयार किये गये कार्यवाही विवरण में उपसरपंच श्री हरिभजन यादव द्वारा हस्ताक्षर उपरान्त 4:00 पी.एम. समय का उल्लेख किया जाना यह अभिनिर्धारित करता है कि बैठक के दौरान श्री हरिभजन यादव उपसरपंच उपस्थित नहीं रहे। अनियमितता की शिकायत होने एवं जॉच से बचने के उद्देश्य पूर्ति हेतु कार्यवाही विवरण तैयार करने की औपचारिकता पूर्ण की जाना पाया जाता है। इस प्रकार श्री हरिभजन यादव उपसरपंच द्वारा द्वारा भी ग्राम पंचायत कार्यवाही विवरण से संबंधित तैयार किये गये कूटरचित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया जाकर अनियमित एवं नियम विरूद्ध कार्य करने में सरपंच ग्राम पंचायत को पूर्ण सहयोग दिया गया है। अतः श्री हरिभजन यादव उपसरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया भी अनियमितता में संलिप्त है, तथा इनके विरूद्ध भी आरोपित आरोप प्रमाणित है। शिकायत की जॉच के दौरान जॉचकर्ता अधिकारियों के समक्ष इनके द्वारा किये गये बयान अभिकथन तथा सुनवाई के दौरान किये गये प्रतिपरीक्षण एवं तर्क से भी यह प्रतिस्थापित है कि अनावेदक सरपंच एवं उपसरपंच द्वारा बार–बार बयान, अभिकथन बदल कर की गई अनियमितता से बचने का किया गया प्रयास मात्र है। श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच द्वारा सुनवाई के दौरान किये गये प्रतिपरीक्षण में जैसा कि कथन किया है कि खण्ड पंचायत अधिकारी द्वारा हरिशंकर शुक्ला को सचिव के माध्यम से रूपये 25000.00 घूस दी गई है। इससे भी यह सिद्ध है कि घूस देना गंभीर अपराध है। यद्पि इनक द्वारा रूपये 25000.00 घूस देने से संबंधित किसी प्रकार के अभिलेखीय साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये। चूंकि शिकायत की जॉच में श्री हरिशंकर शुक्ला खण्ड पंचायत अधिकारी द्वारा अनावेदक श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच के विरूद्ध जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। अतः जॉच अधिकारी से असंतुष्ट होकर रूपये 25000.00 घूस देने का आरोप लगाया जाना परिलक्षित होता है एवं यह अभिनिर्धारित होता है कि अनावेदकगणों द्वारा अनियमितता की गई है तथा अनियमितता से बचने का हर तरह के रास्ते एवं माध्यम अपनाये जाने के बावजूद भी अपने पक्ष में प्रतिवेदन तैयार कराने में असफल रहे हैं।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पाया जाता है कि श्री हरिभजन यादव उपसरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी के विरूद्ध लगाये गये आरोप बिन्दु क्रमांक–1, 2, 3, 4 में से आरोप बिन्दु क्रमांक–4 में यथावर्णित अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किये गये कूटरचित दस्तावेज एवं बैठक कार्यवाही पंजी में हस्ताक्षर किया जाकर 04:00 पी.एम. लेख किया गया है के आरोप प्रमाणित हैं।

01/11/18

(345)

इसी प्रकार श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया के विरूद्ध लगाये गये आरोप बिन्दु क्रमांक–1, 2, 3, 4 पूर्ण प्रमाणित पाये जाते हैं।

अतः उपरोक्त दोनों पदधारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार के दोषी हैं तथा उनका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है। अतः विचारोपरान्त म.प्र. पंचायतराज एव ग्राम स्वराज अधिनियम–1993 की धारा–40 (1) के प्रावधानों के तहत् श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया सरपच ग्राम पंचायत नौढिया जनपद पंचायत मझौली तथा श्री हरिभजन यादव उपसरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी को तत्काल प्रभाव से पद से पृथक किया जाता है। तथा म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम–1993 की धारा–40 (2) के प्रावधानों के तहत् श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया एव श्री हरिभजन यादव को 06 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है। सर्वसंबंधित सूचित हों।

(13)

(अवि प्रसाद) 01/11/18
भा.प्र.से.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म0प्र0)

पृ.क्र. 11600/धारा–40/2018 सीधी, दिनांक 01/11/18

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, पंचायत राज सचालनालय म0प्र0 भोपाल।
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) म.प्र. भोपाल की ओर श्रीमती लक्ष्मी देवी सरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया एवं श्री हरिभजन यादव उपसरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी को पद से पृथक किया जाकर 06 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया गया है। कृपया संज्ञान लेने का कष्ट करें।
3. कलेक्टर, जिला सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील मझौली जिला सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) कलेक्टर कार्यालय सीधी की ओर सूचनार्थ। श्रीमती लक्ष्मी देवी सरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया एवं श्री हरिभजन यादव उपसरपंच ग्राम पंचायत नौढ़िया जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी को पद से पृथक किया जाकर 06 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया गया है। कृपया संज्ञान लेने का कष्ट करें।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आदेश की प्रति श्रीमती लक्ष्मी देवी बहेलिया को तामील कराकर मूल पावती तत्काल भेजें एवं पद प्रभार प्राप्त कर पालन प्रतिवेदन भेजें।
7. प्रभारी अधिकारी पंचायत सचिव स्थापना/मनरेगा/व्यवहारवाद/स्टेनो–टू मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी की ओर सूचनार्थ।
8. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत नौढ़िया जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. प्रभारी अधिकारी पी.आर.डी. पोर्टल जिला पंचायत सीधी की ओर सूचनार्थ एवं त्वरित पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म0प्र0)

(04)

न्यायालय विहित प्राधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक–39/धारा–40/2019

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी (म.प्र.)
विरूद्ध
श्रीमती वीणा सिंह सरपंच ग्राम पंचायत परसिली
जनपद पंचायत मझौली, जिला सीधी (म.प्र.)

आदेश **दिनांक–20.06.2019**

लोकायुक्त जॉच प्रकरण क्र. 637/2017 विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली तथा सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत परसिली विषयवस्तु से संबंधित शिकायत की जॉच श्री एम.एल.प्रजापति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली, श्री आर.सी. सिंह सहायक यंत्री जनपद पंचायत मझौली, श्री संदीप डावर विकासखण्ड अधिकारी जिला पंचायत सीधी, श्री रोशनलाल गुप्ता पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत मझौली द्वारा संयुक्त रुप से की जाकर जॉच अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.12.2018 को जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

जॉच अधिकारियो द्वारा जॉच निष्कर्ष में दर्शाया है कि जॉच के बिन्दु कमांक एक में कय की गयी स्ट्रीट लाईट की संख्या एवं संबंधित मद की जॉच की जानी थी जॉच मे स्पष्ट है कि कय की गयी स्ट्रीट लाईट की संख्या 03 है व राशि का व्यय पंच परमेश्वर मद से राशि का व्यय किया गया है। जॉच के बिन्दु कमांक 2 में "जिस मद या जिस योजना से कय किया गया है क्या उस मद या योजना में सोलर लाईट के कय की अनुमति थी" के संबंध में जॉच करना था, इस संबंध में विकास आयुक्त के पत्र क्र. 335/475/2016/22/पं.–1 दिनांक 15.12.2016 में उल्लेखित बिन्दु कमांक 5 के उपबिन्दु 4 में ग्राम पंचायत क्षेत्र में सशर्त एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था करने का उल्लेख है जिसमें कय तभी किया जा सकता है जब ग्राम विद्युतीकृत नही हुआ हों। वर्ष 2016 की स्थिति में सचिव द्वारा ग्राम पंचायत परसिली अंतर्गत चुनगुन भिनसरईया टोला, दुबीटोला एवं सुवाबसेर टोला में स्ट्रीट लाईट स्थापित करने का लेख किया गया है, इस संबंध में ग्राम के इन क्षेत्रों की विद्युतीकरण की स्थिति म.प्र. इलैक्ट्रिक बोर्ड से लिया जाना उचित होगा। जॉच के बिन्दु कमांक 2 में कय करने की प्रकिया की भी जॉच की जानी थी, सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखो का अवलोकन पर पाया गया कि कोटेशन केवल दो प्राप्त कियो गये है परंतु व्यय रुपये 20000.00 (बीस हजार रुपये) होने से प्रथम दृष्टया म.प्र. भण्डार कय नियम 2015 का उल्लघंन किया जाना प्रतीत होता है क्योकि संबंधित नियमों मे रुपये 20000.00 या उससे अधिक की सामग्री खरीदी में कम से कम तीन फर्मो के कोटेशन प्राप्त किये जाने के उपरांत न्यूनतम दर उपलब्ध कराये जाने वाली फर्म से कय किये जाने का उल्लेख है। सचिव द्वारा इस संबंध में दो

20/06/19

कोटेशन दिये गये है। जो कि भण्डार कय के नियमों का पालन न करने से सरपंच श्रीमती वीणा सिंह व तत्कालीन सचिव श्री सुनील गुप्ता दोषी है।

जॉच अधिकारियो द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित तथ्यों अनुशांगिक अभिलेखों के परिशीलन उपरांत प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि सरपंच/सचिव ग्राम पचायत परसिली द्वारा पंच-परमेश्वर मद से रुपये 25000.00 प्रति नग की दर से 03 नग सौर ऊर्जा लाइट (सोलर स्ट्रीट लाइट) रुपये 75000.00 की कय की जाकर प्रेम ट्रेडर्स सीधी को ईपीओ क्र. 380333 दिनांक 02.04.2016 से भुगतान किया गया है। सौर ऊर्जा लाइट खरीदी में म0प्र0 पंचायत (सामग्री तथा माल का कय) नियम 1999 के नियम-3 सामग्री तथा माल का कय उपनियम-1, 2 नियम-3, 4, 9 का पालन न किया जाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। विचारोपरांत म0प्र0 पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-40 के सुसंगत प्रावधानों के तहत शासन को पहुँचाई गयी छति की वसूली सहित अन्य दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सरपंच श्रीमती वीणा सिंह ग्राम पंचायत परसिली के विरुद्ध धारा-40 का प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यालयीन प्रकरण क्र. 39/जि.पं./न्याया./2018-19 पृष्ठांकन क्र. 370 दिनांक 05.01.2019 से कारण बताओ नोटिस (आरोप पत्र) जारी किया जाकर उनका जबाव चाहा गया नियत पेशी दिनांक 18.01.2019 को अनावेदक सरपंच श्रीमती वीणा सिंह उपस्थित नही हुई। जबाव प्रस्तुत करने हेतु पुनः अवसर दिया जाकर कार्यालयीन पत्र क्र. 1380 दिनांक 01.02.2019 से कारण बताओ नोटिस/सूचना पत्र जारी किया गया। जबाव प्रस्तुत करने की नियत तिथि दिनांक 08.02.02019 को श्रीमती वीणा सिंह अनावेदक सरपंच उपस्थित नही हुई। जबाव प्रस्तुत करने की अगली तिथि दिनांक 14.02.2019 नियत की गयी। श्रीमती वीणा सिंह नियत तिथि को उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया।

कारण कारण बताओ सूचना पत्र में श्रीमती वीणा सिंह अनावेदक सरंपच ग्राम पंचायत परसिली जनपद पंचायत मझौली के विरुद्ध लगाये गये आरोप निम्न है:-

आरोप बिन्दु क्र. 01:- लोकायुक्त जॉच प्रकरण क्रमांक-637/2017 विरूद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली तथा सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत परसिली जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी विषयवस्तु की प्राप्त शिकायत की जॉच श्री संदीप डावर विकास खण्ड अधिकारी जिला पंचायत सीधी एवं श्री एम.एल. प्रजापति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली, श्री रोशनलाल गुप्ता पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत मझौली, सहायक यंत्री जनपद पंचायत मझौली द्वारा की जाकर उनके द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन दिनांक 03.12.2018 में प्रतिवेदित तथ्यों के अनुसार आप ग्राम पंचायत परसिली जनपद पंचायत मझौली के पद पर पदस्थ रहते हुए आपके द्वारा पंच परमेश्वर मद से 25000.00 रूपये प्रति नग की दर पर 03 नग सौर ऊर्जा लाईट (सोलर स्टीट लाईट) रूपये 75000.00 की क्रय की जाकर प्रेम ट्रेडर्स सीधी को ई.पी.ओ. क्रमांक-380333 दिनांक 02.04.2016 से भुगतान किया

गया। सौर ऊर्जा लाईट खरीदी में आपके द्वारा **म.प्र. पंचायत (सामग्री तथा माल का क्रय) नियम–1999 के नियम–3 सामग्री तथा माल का क्रय उप नियम–1, उप नियम–2, नियम–3, नियम–4, नियम–9 का पालन न किया जाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है।** उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि आपके द्वारा म.प्र. पंचायत (सामग्री तथा माल का क्रय) नियम–1999 का उल्लघंन किया जाकर राशि रूपये 75000.00 का व्यय अनियमित रूप से किया जाकर पदीय हैसियत का दुरूपयोग एवं वित्तीय अनियमितता तथा शासकीय राशि का दुर्विनियोग किया जाना प्रमाणित है।

श्रीमती वीणा सिंह अनावेदक सरपंच ग्राम पंचायत परसिली जनपद पंचायत मझौली द्वारा *आरोप बिन्दुओं के बचाव में प्रस्तुत जबाव का विवरण निम्न है:–*

जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत परसिली के सरपंच आदिवासी आरक्षित महिला के पद पर निर्वाचित है। ग्राम पंचायत में सचिवीय कार्य संपादन हेतु श्री सुनील कुमार गुप्ता सचिव पदस्थ थे। ग्राम पंचायत में पंच–परमेश्वर मद से सोलर लाइट क्रय के संबंध में ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 02.01.2016 के प्रस्ताव क्र. 01 में यह निर्णय लिया गया था कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के ऐसे ग्रामों में जहॉ विद्युतीकरण नही हुये है वहा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए सौर ऊर्जा क्रय कर लगवाया जाए। इस संबंध में पूर्व प्राप्त निर्देश श्री हीरालाल द्विवेदी सचिव म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 9907 दिनांक 11.11.2011 के बिन्दु क्र. 04 'अ' के प्रावधानों के अनुसार एवं कार्यालय जिला पंचायत सीधी के पत्र क्र. 796 दिनांक 19.01.2011 के अनुपालन में पंच–परमेश्वर योजना की राशि से सौर ऊर्जा ग्राम चुनगुना के सुआ बसेर टोला, दूवी डोल टोला, आदिवासी बस्ती खोला टोला (आदिवासी टोला) में तीन स्थानों पर लगाए जाने हेतु प्राथमिक कम में तीन सौर ऊर्जा क्रय करने का प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके परिपालन में ग्राम पंचायत की समान्य प्रशासन समिति के बैठक दिनांक 13.02.2016 के द्वारा सौर ऊर्जा क्रय में की गई कार्यवाही अनुसार सौर ऊर्जा पंचायत राज अधिनियम 1993 के क्रय नियम पालन अनुसार सामाग्री क्रय कोटेशन निम्नलिखित प्राप्त किए गए जिसमें विक्रेता – पारस बैट्री ब्यौहारी कोटेशन क्र. 379 दिनांक 05.01.2016 राशि प्रति सौर ऊर्जा 25,600 रू. अनुसार पेस किया गया एवं प्रेम ट्रेडर्स सीधी कोटेशन क्र. 25 दिनांक 10.02.2016 को सौर ऊर्जा से संबंधित समस्त सामग्री सहित 01 नग दर 25,000 रुपये के अनुसार विक्रय हेतु पेश किया गया तथा जय माता दी सौर ऊर्जा प्लेट विक्रेता मेन रोड ब्यौहारी के कोटेशन क्र. 527 दिनांक 25.01.2016 के अनुसार सौर ऊर्जा सामग्री सहित 01 नग 25,800 रुपये विक्रय अनुसार ग्राम पंचायत में 03 कोटेशन प्राप्त हुए जिसमें कोटेशन क्र. 25 प्रेम ट्रेडर्स उत्तरी करौदिया सीधी दिनांक 10.02.2016 के द्वारा प्रति सौर ऊर्जा सामग्री सहित 25000 रुपये के अनुसार ग्राम पंचायत मे सामान्य समिति द्वारा क्रय करने का निर्णय लिया गया था। तद्नुसार उक्त सौर ऊर्जा 03 नग क्रय प्रेम ट्रेडर्स उत्तरी करौदिया सीधी बिल क्र. 213 दिनांक 31.03.2016 के द्वारा क्रय किया गया तथा क्रय सौर ऊर्जा के भुगतान के संबंध में ई.पी. ओ. के माध्यम से पंच–परमेश्वर योजना की राशि दिनांक 02.04.2016 को 75000.00

20/01/19

(10)

रुपये भुगतान किया गया जिसमें मेरे द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। शेष की गई कार्यवाही में सचिव द्वारा मुझे कोई जानकारी नही दी गयी है। मै आदिवासी महिला पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सामाग्री कय भंडार अधिनियम का पालन किया हूँ। सचिव द्वारा दी गयी जानकारी एवं कार्यवाही के संबंध में मुझे कोई जानकारी नही है। मेरे जबाव के साथ प्राप्त 03 कोटेशन एवं बिल ई.पी.ओ. भुगतान के अभिलेखो की छायाप्रति संलग्न है तथा लगाए गये वित्तीय अनियमितता के आरोप में प्रार्थी किसी भी प्रकार के दोषी नही है न ही प्रार्थी को ग्राम पंचायत के अभिलेखो को रखने का अधिकार है और न ही सचिव द्वारा कोई वैधानिक विधि संगत कार्य करने में सहयोग दिया जाता है। मै आसपास की ग्राम पंचायत के सरपंच एवं जनपद पंचायत के तत्कालिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पंचायत आफीसर के बताए हुए नियमों के अनुसार तथा माननीय सचिव श्री हीरालाल द्विवेदी म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र के अनुपालन में प्रावधानों के तहत विधिसंगत पंच–परमेश्वर योजना मद की राशि का सद्उपयोग आदिवासी ग्रामीणजन के प्रकाश व्यवस्था में ग्राम सभा द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार राशि व्यय किया हूँ। जॉच दल द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव से सौर ऊर्जा कय संबंधित की गयी कार्यवाही कय भण्डार नियम कोटेशन बिल व कार्यवाही पंजी की मांग की गयी थी किन्तु सचिव श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा अधूरे कोटेशन बिल कार्यवाही पंजी एवं अन्य अभिलेख जबाव प्रस्तुत किये गये थे। चूँकि ग्राम पंचायत के अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत कार्यालय में न रखते हुए अपने निवास गृह ग्राम ब्यौहारी जिला शहडोल दूरी 25 किलोमीटर में रखते है। इस संबंध की मैंने सूचना जनपद कार्यालय को पूर्व में लिखित रुप से दी हूँ कि सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के कोई भी अभिलेख कार्यालय में नही रखते है जॉच समय भी सचिव द्वारा मेरे उपस्थित में जॉच दल को संपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया था। किन्तु वास्तविक कार्यवाही पंजी ग्राम पंचायत बैठक निर्णय एवं सामान्य प्रशासन बैठक कार्यवाही निर्णय तथा ग्राम सभा प्रस्ताव निर्णय पंजी प्रस्तुत नही किए गये जिस कारण से प्रार्थी को वित्तीय अनियमितता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस प्रकरण में सचिव के द्वारा संपूर्ण अभिलेख रिकार्ड प्रस्तुत न करने के लापरवाही से आरोप किया गया है। जिसके लिए सचिव दोषी है न की प्रार्थी। चूँकि प्रार्थी जॉच पश्चात दिनांक 03.12.2018 को जिला पंचायत कार्यालय सीधी को प्रकरण से संबंधित अभिलेखो एवं सचिव के द्वारा की गयी लापरवाही के संबंध में अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया था फिर भी अनुरोध पत्र मे कोई विचार व अवलोकन नही किया गया। सौर ऊर्जा से लाभान्वित हितग्राहियों से भी प्रमाण लिया जा सकता है। सौर ऊर्जा कय के पूर्व विधिसंगत कार्यवाही ग्राम पंचायत बैठक का निर्णय सामान्य प्रशासन बैठक लिए गये तत्पश्चात सौर ऊर्जा कय कर भुगतान की कार्यवाही ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदन किया गया है। जबाव के साथ श्रीमती वीणा सिंह द्वारा जबाव में वर्णित अभिलेख की छायाप्रतियॉ संलग्न की गयी हैं।

20/06/19

प्रकरण दिनांक 11.04.2019 को अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाकर अभियोजन साक्ष्यों को आहूत किया गया। अभियोजन साक्ष्यों द्वारा अपने बयान अभिकथन दर्ज कराये गये। अभियोजन साक्ष्यों से श्रीमती वीणा सिंह अनावेदक सरपंच को प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया। अभियोजन साक्ष्यों के बयान अभिकथन एवं अनावेदक सरपंच द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण का विवरण निम्न है:–

(1) **बयान अभिकथन द्वारा अभियोजन साक्षी श्री मुन्नीलाल प्रजापति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी:–**

म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम–1993 की धारा 40 के प्रावधानों के तहत् श्रीमती वीणा सिंह सरपंच ग्राम पंचायत परसिली जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी के विरूद्ध परिचलित प्रकरण क्रमांक–39/ZP/40/2019 म.प्र. शासन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली विरूद्ध श्रीमती वीणा सिंह सरपंच ग्राम पंचायत परसिली जनपद पंचायत मझौली के संबंध में पीठासीन अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के समक्ष उपस्थित हुआ। श्रीमती वीणा सिंह के विरूद्ध पंचपरमेश्वर मद से 25000.00 रूपये प्रति नग की दर पर 03 नग सौर ऊर्जा लाईट (सोलर स्टीट लाईट) रूपये 75000.00 की क्रय की जाकर प्रेम ट्रेडर्स सीधी को ई.पी.ओ. क्रमांक–380333 दिनांक 02.04.2016 से भुगतान किया गया। सौर ऊर्जा लाईट खरीदी में म.प्र. पंचायत (सामग्री तथा माल का क्रय) नियम–1999 के नियम–03 सामग्री तथा माल का क्रय उपनियम–01, उपनियम–02, नियम–03, नियम–04, नियम–09 का पालन न किया जाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता किये जाने के आरोप हैं। लगाये गये आरोप से संबंधित शिकायत की जॉच श्री संदीप कुमार डावर विकास खण्ड अधिकारी जिला पंचायत सीधी तथा रोशनलाल गुप्ता पंचायत समन्वयक एवं सहायक यंत्री के साथ मेरे द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत मुख्यालय दिनांक 03.12.2018 को की गई थी। तथ्यों की जॉच एवं अभिलेखीय साक्ष्यों से यह प्रमाणित पाया गया कि रूपये 75000.00 की सौर ऊर्जा लाईट खरीदी गई हैं। सामग्री जॉच के समय मौजूद मिली किन्तु श्रीमती वीणा सिंह द्वारा शासकीय राशि के व्यय करने एवं सौर ऊर्जा लाईट खरीदी में भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया तथा जॉच दल अधिकारी एवं सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त शिकायत आंशिक रूप से सत्य पाये जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जो प्रकरण नस्ती के साथ संलग्न है। मैंने अवलोकन किया लगाया गया आरोप सही है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती वीणा सिंह सरपंच ग्राम पंचायत परसिली जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी, श्री मुन्नीलाल प्रजापति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली अभियोजन साक्षी से:–

प्रश्न द्वारा श्रीमती वीणा सिंह	उत्तर द्वारा श्री मुन्नीलाल प्रजापति
क्या म.प्र. शासन द्वारा सौर ऊर्जा लाईट खरीदी के आदेश दिये गये हैं तथा शासन के आदेश के तारतम्य में जिला पंचायत सीधी द्वारा जनपद	इस तरह के निर्देश एवं पत्र मुझे देखने को नहीं मिले।

[signature] 20/04/19

पंचायतों को सौर ऊर्जा लाईट खरीदी के संबंध में निर्देश पत्र जारी किये गये है ?	
मैं आपको अवगत करा रही हूँ कि अपर मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक/पंचा./वि. यो./2011/119/6151 दिनांक 30.06.2011 के अनुक्रम में जिला पंचायत सीधी के पत्र क्रमांक 7616/13वां वित्त/यो.तक./2011 दिनांक 12.07.2011 द्वारा समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को सौर ऊर्जा लाईट प्रकाश व्यवस्था के लिए निर्देश पत्र जारी किये गये थे? क्या इन निर्देशों में सौर ऊर्जा लाईट खरीदी की क्या प्रक्रिया अपनाई जाय उल्लेख नहीं होने से मैंने जो खरीदी की है, उसमें भण्डार क्रय नियमों का उल्लघंन किया जाना आपने किस आधार पर प्रमाणित किया है ?	शासन का एवं जिला पंचायत का वर्णित निर्देश पत्र मेरे संज्ञान में नहीं है। किसी प्रकार की सामग्री खरीदी के लिए भण्डार क्रय नियमों के तहत् प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। आपने नहीं अपनाया।
क्या कोटेशन लेकर जिस फर्म की दरें कम हों उससे सामग्री क्रय की जा सकती है ?	भण्डार क्रय नियमों क्रय प्रक्रिया बताई गई है।
मेरे द्वारा कोटेशन लेकर मात्र 03 नग सौर ऊर्जा लाईट की खरीदी की गई है तथा लोक हित में आज भी पंचायत में आम निवासियों को प्रकाश का लाभ मिल रहा है ? शिकायत की जॉच में आपने आंशिक रूप से शिकायत सिद्ध होने का उल्लेख किया है यदि मेरे द्वारा भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन किया गया है तो शासन को कितनी आर्थिक क्षति मैंने पहुंचाई जॉच प्रतिवेदन में आपने स्पष्ट क्यों नहीं किया ?	प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि आपने सौर ऊर्जा लाईट खरीदी में भण्डार क्रय नियमों का पालन आपने नहीं किया है।

(2) वयान अभिकथन द्वारा अभियोजन साक्षी श्री संदीप कुमार डावर विकास खण्ड अधिकारी जिला पंचायत सीधी वर्तमान में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी:–

म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम–1993 की धारा 40 के प्रावधानों के तहत् श्रीमती वीणा सिंह सरपंच ग्राम पंचायत परसिली जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी के विरूद्ध परिचलित प्रकरण क्रमांक–39/ZP/40/2019 म.प्र. शासन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली विरूद्ध श्रीमती वीणा सिंह सरपंच ग्राम पंचायत

20/06/19

परसिली जनपद पंचायत मझौली के संबंध में पीठासीन अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के समक्ष उपस्थित हुआ। श्रीमती वीणा सिंह के विरूद्ध पंचपरमेश्वर मद से 25000.00 रूपये प्रति नग की दर पर 03 नग सौर ऊर्जा लाईट (सोलर स्टीट लाईट) रूपये 75000.00 की क्रय की जाकर प्रेम ट्रेडर्स सीधी को ई.पी.ओ. क्रमांक–380333 दिनांक 02.04.2016 से भुगतान किया गया। सौर ऊर्जा लाईट खरीदी में म.प्र. पंचायत (सामग्री तथा माल का क्रय) नियम–1999 के नियम–03 सामग्री तथा माल का क्रय उपनियम–01, उपनियम–02, नियम–03, नियम–04, नियम–09 का पालन न किया जाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता किये जाने के आरोप हैं। लगाये गये आरोप से संबंधित शिकायत की जॉच ***श्री मुन्नीलाल प्रजापति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली तथा 02 अन्य सहयोगी अधिकारी सदस्यों के साथ मेरे द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत मुख्यालय परसिली में जाकर दिनांक 03.12.2018 को की गई थी।*** जॉच के दौरान यह पाया गया कि खरीदी गई 03 नग सौर ऊर्जा लाईट पंचायत के आम वस्ती में लगी हैं, किन्तु श्रीमती वीणा सिंह ने क्रय करने में भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं किया। जॉच रिपोर्ट में सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट की गई है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती वीणा सिंह सरपंच ग्राम पंचायत परसिली जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी, श्री संदीप कुमार डावर विकास खण्ड अधिकारी जिला पंचायत सीधी वर्तमान में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी अभियोजन साक्षी से:–

प्रश्न द्वारा श्रीमती वीणा सिंह	उत्तर द्वारा श्री संदीप कुमार डावर
सौर ऊर्जा लाईट खरीदी के संबंध में शासन के क्या दिशा निर्देश है ? जारी निर्देशों में सौर सौर ऊर्जा लाईट खरीदी की क्या प्रक्रिया अपनाये जाने का उल्लेख है क्या आपको जानकारी है ?	जॉच में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली वरिष्ठ थे। जॉच के समय अभिलेखीय साक्ष्यों एवं मौके पर पाई गई स्थिति के अवलोकन उपरान्त प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया था।
क्या मेरे उपरोक्त प्रश्न का जवाब आपने उपरोक्तानुसार जो दिया है वह सही है ?	मैंने जो जवाब दिया है सही दिया है।
सौर ऊर्जा लाईट खरीदी में शासन को कितनी आर्थिक क्षति हुई है ?	इसका निर्धारण धारा–89 के प्रावधानों के तहत् करने के लिए कलेक्टर महोदय को अधिकार है।

(3)वयान अभिकथन द्वारा अभियोजन साक्षी श्री आर.सी. सिंह सहायक यंत्री जनपद पंचायत मझौली:–

श्रीमती वीणा सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में मेरा यह कहना है कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली, विकास खण्ड अधिकारी जिला पंचायत सीधी के साथ मैं एवं पंचायत सन्चयक अधिकारी ग्राम पंचायत परसिली दिनांक 03.12.2018 को मौंके पर मैजूद हो कर जॉच कार्य में सहयोग किया था। 03 नग सौर ऊर्जा लाईट की खरीदी में रूपये 75000.00 का व्यय किया गया

है। खरीदी करने में भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं हुआ है। आरोप सही है मेरा यही कहना है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती वीणा सिंह सरपंच ग्राम पंचायत परसिली जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी, श्री आर.सी. सिंह सहायक यंत्री जनपद पंचायत मझौली अभियोजन साक्षी से:–

प्रश्न द्वारा श्रीमती वीणा सिंह	उत्तर द्वारा श्री आर.सी. सिंह सहायक यंत्री जनपद पंचायत मझौली
रूपये 75000.00 की 03 नग खरीदी गई सौर ऊर्जा लाईट में शासन को मेरे द्वारा कितनी क्षति पहुंचाई गई आपने इसका आकलन क्यों नहीं किया ?	आपने खरीदी करने में भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं किया है।
मेरे द्वारा कितनी क्षति हुई है। आप इसका स्पष्ट उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ?	जॉच प्रतिवेदन में सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट की गई है।

(4)वयान अभिकथन द्वारा अभियोजन साक्षी श्री रोशनलाल गुप्ता पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी:–

दिनांक 03.12.2018 को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत मुख्यालय में उपस्थित होकर मेरे द्वारा जॉच कार्य में सहयोग किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जहां पर सौर ऊर्जा लाईट लगी थी उस स्थल का निरीक्षण किया गया था। 03 नग सौर ऊर्जा लाईट लगी थी। अभिलेखीय दस्तावेजों के आधार पर रूपये 75000.00 का सौर ऊर्जा लाईट 03 नग श्रीमती वीणा सिंह सरपंच एवं श्री सुनील कुमार गुप्ता तत्कालीन सचिव ने संयुक्त रूप से मिल कर खरीदा था। भण्डार क्रय नियमों का पालन किये जाने से संबंधित जॉच के समय कोई अभिलेख पंचायत से प्राप्त नहीं हुए थे। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सामग्री क्रय करने में भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जाना नहीं पाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जॉच रिपोर्ट तैयार की गई थी पढ़ कर सतुष्ठ होकर मैंने भी जॉच प्रतिवेदन में हस्ताक्षर किया था। मेरा यही कहना है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती वीणा सिंह सरपंच ग्राम पंचायत परसिली जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी, श्री रोशनलाल गुप्ता पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी अभियोजन साक्षी से:–

प्रश्न द्वारा श्रीमती वीणा सिंह	उत्तर द्वारा श्री रोशनलाल गुप्ता पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी
क्या सौर ऊर्जा लाईट खरीदने में किसी प्रकार की आर्थिक एवं वित्तीय क्षति शासन को हुई है ?	आपने रूपये 75000.00 की सौर ऊर्जा लाईट खरीदी है। क्षति हुई या नहीं इस संबंध में म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम– 1993 की धारा–89 के प्रावधानों के तहत् क्षति राशि का

20/06/19

	विनिश्चयन करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को अधिकार हैं इस संबध में मै कुछ नहीं कह सकता।

अभियोजन साक्ष्यो के बयान अभिकथन एव अनावेदक सरपंच श्रीमती वीणा सिंह के प्रतिपरीक्षण कार्यवाही करने के उपरांत प्रकरण बचाव साक्ष्य एव अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। अनावेदक सरपंच दिनांक 19.06.2019 को उपस्थित होकर बताया कि जबाव के साथ संलग्न है। अनावेदक सरपंच का अंतिम श्रवण किया जाकर प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया।

अधिनिर्णय

श्रीमती वीणा सिंह अनावेदक सरपंच ग्राम पंचायत परसिली के विरुद्धअधिरोपित आरोप उनके द्वारा प्रस्तुत जबाव अभियोजन साक्ष्यों द्वारा आरोपो की पुष्टि में किये गये अभिवचन अनावेदक सरपंच द्वारा अभियोजन साक्ष्यों से किये गये प्रतिपरीक्षण में वर्णित स्थिति एवं साक्ष्य अभिलेखो का समग्र अवलोकन किया गया। श्रीमती वीणा सिंह अनावेदक सरपंच के विरुद्ध मुख्य आरोप यह है कि 03 नग सौर ऊर्जा लाइट रुपये 25000.00 प्रति नग के मान से रुपये 75000.00 की खरीदी गयी। सौर ऊर्जा लाइट खरीदी मे म.प्र. पंचायत (सामग्री तथा माल का क्रय) नियम–1999 के नियम–3 सामग्री तथा माल का क्रय उप नियम–1, उप नियम–2, नियम–3, नियम–4, नियम–9 का पालन न किया जाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। म.प्र. पंचायत (सामग्री तथा माल का क्रय) नियम–1999 का उल्लघंन किया जाकर राशि रूपये 75000.00 का व्यय अनियमित रूप से किया जाकर पदीय हैसियत का दुरूपयोग एवं वित्तीय अनियमितता तथा शासकीय राशि का दुर्विनियोग किया गया है। आरोप के बचाव में श्रीमती वीणा सिंह ने ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 13.02.2016 के निर्णय अनुसार पारस बैट्री ब्यौहारी से रुपये 25600.00 प्रति नग, प्रेम ट्रेडर्स सीधी से रुपये 25000.00 प्रति नग, जय माता दी सौर ऊर्जा प्लेट विक्रेता ब्यौहारी से रुपये 25800.00 प्रति नग के मान से 03 फर्मो से कोटेशन प्राप्त कर प्रेम ट्रेडर्स उत्तरी करौदिया सीधी की न्यूनतम दर होने से सामान्य समिति के निर्णय अनुसार रुपये 25000.00 प्रति नग के मान से रुपये 75000.00 की सौर ऊर्जा लाइट की खरीदी पंच–परमेश्वर मद से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत आफीसर के बताए गये नियमों के अनुसार तथा सचिव म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र के अनुपालन में की जाकर भण्डार कय नियमो का पालन किया जाना दर्शाया है। सचिव म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र पृष्ठांकन क्र./पं.रा./वित्त–यो./2011/119/9907 दिनांक 11.11.2011 की कण्डिका 04 (अ) में ग्राम के अंदर सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था करना, अपरम्परागत ऊर्जा (सौर ऊर्जा) के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान है। जिला पंचायत के पत्र क्र. 796/13वें वित्त/जि.पं./2012 दिनांक 19.01.2012 द्वारा पंच–परमेश्वर योजना के कियान्वयन के संबंध में जारी दिशा निर्देश बिन्दु क्र. 4 (अ) ग्राम के अंदर सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था करना, अपरम्परागत ऊर्जा (सौर ऊर्जा) के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान है। ***इस निर्देश के संदर्भ*** में ग्राम पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में निर्णय लेकर अनावेदक सरपंच श्रीमती वीणा सिंह एवं श्री सुनील गुप्ता सचिव **(वर्तमान में एक अन्य प्रकरण में सेवा से पृथक)** सचिव द्वारा 03 नग कोटेशन स्थानीय विक्रेताओं से प्राप्त कर सौर ऊर्जा लाइट की खरीदी की गयी है। वर्णित निर्देशों में भण्डार कय नियमों का

20/06/19

(10)

पालन न किया जाय किसी प्रकार से व्याख्या नही की गयी है। आरोप म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम–2015 के प्रावधानों से संबंधित है। म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम–2015 भाग–1, वस्तुओं का उपार्जन नियम–09 में वर्णित व्यवस्था अनुसार रूपये 20000.00 तक के मूल्य की अनारक्षित सामग्री बिना कोटेशन के सामग्री का क्रय किये जाने का प्रावधान है। तथा नियम–10 में वर्णित व्यवस्था अनुसार क्रय समिति के अनुशंसा अनुसार रूपये 20000.00 की वित्तीय सीमा से अधिक और 1.00 लाख तक की अनारक्षित सामग्री का क्रय किये जाने तथा समिति के द्वारा गुणवत्ता और विनिर्देशन बाजार का सर्वेक्षण एवं उपयुक्त अपूर्तिकर्ता की पहचान करेगी। तथा समिति के अनुशंसा के उपरान्त क्रय/प्रदायादेश जारी करने की अनुशंसा करने के पूर्व समिति के सदस्य सामग्री की कीमत, प्रचलित बाजार दर आपूर्तिकर्ता की सिपारिश, प्रश्नगत सामग्री की आपूर्ति करने के लिए विश्वसनीय एवं सक्षम होने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी तत्पश्चात सामग्री का क्रय किये जाने का प्रावधान है। स्पष्ट है कि श्रीमती वीणा सिंह सरपंच ग्राम पंचायत परसिली द्वारा आरोप पत्र में दर्शित सामाग्री क्रय करने एवं राशि व्यय करने की दर रुपये 20000.00 प्रति नग से अधिक रुपये 25000.00 प्रति नग है। अतः श्रीमती वीणा सिंह द्वारा भण्डार क्रय नियमों का उलंघन किया जाकर प्रेम ट्रेडर्स उत्तरी करौदिया सीधी से 03 नग सौर ऊर्जा लाइट रुपये 75000.00 की खरीदी एवं राशि का भुगतान करने में भण्डार कय नियमों के विपरीत राशि का भुगतान एवं व्यय कर पदीय हैसियत का दुरूपयोग एवं वित्तीय अनियमितता तथा शासकीय राशि का दुर्विनियोग किया गया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर श्रीमती वीणा सिंह सरपंच ग्राम पंचायत परसिली के विरुद्ध आरोपित आरोप प्रमाणित है। श्रीमती वीणा सिंह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार की दोषी हैं तथा उनका पद पर बना रहना लोकहित में अबांछनीय है। अतः विचारोपरान्त म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम–1993 की धारा–40 (1) के प्रावधानों के तहत् श्रीमती वीणा सिंह सरपंच ग्राम पंचायत परसिली जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी को तत्काल प्रभाव से पद से पृथक किया जाता है। तथा म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम–1993 की धारा–40 (2) के प्रावधानों के तहत् श्रीमती वीणा सिंह को 06 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है। सर्वसंबंधित सूचित हों।

20/06/19

(अवि प्रसाद)
भा.प्र.से.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म0प्र0)
सीधी, दिनांक 20.06.2019

पृ.क्र./5876/जि.पं./न्याया./धारा–40/2019

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म0प्र0 भोपाल।
2. आयुक्त रीवा संभाग रीवा।
3. आयुक्त म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) म.प्र. भोपाल की ओर श्रीमती वीणा सिंह सरपंच ग्राम पंचायत परसिली जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी को पद से पृथक किया जाकर 06 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया गया है। कृपया संज्ञान लेने का कष्ट करें।

5. कलेक्टर, जिला सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील मझौली जिला सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) कलेक्टर कार्यालय सीधी की ओर सूचनार्थ। **श्रीमती वीणा सिंह सरपंच ग्राम पंचायत परसिली जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी** को पद से पृथक किया जाकर 06 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया गया है। कृपया संज्ञान लेने का कष्ट करें।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आदेश की प्रति **श्रीमती वीणा सिंह** को तामील कराकर मूल पावती तत्काल भेजें एवं पद प्रभार प्राप्त कर पालन प्रतिवेदन भेजें।
9. प्रभारी अधिकारी पंचायत सचिव स्थापना/मनरेगा/व्यवहारवाद/स्टेनो–टू मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी की ओर सूचनार्थ।
10. प्रभारी अधिकारी पी.आर.डी. पोर्टल जिला पंचायत सीधी की ओर सूचनार्थ एवं त्वरित पालनार्थ।
11. सरपंच/सचिव **ग्राम पंचायत परसिली जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी** की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. श्रीमती वीणा सिंह द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीधी (म0प्र0)

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा

20रु. Rs.20
बीस रुपये TWENTY RUPEES

श्रीमती वीणा सिंह सरपच ग्राम पंचायत परसिली जनपद पचायत मझौली जिला -- सीधी (म0प्र0) .... पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका

बनाम

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मझौली जिला -- सीधी (म0प्र0) .... गैरपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक

Commissioner's Office
Rewa Division
Rewa (M.P.)

पुनरीक्षण विरुद्ध प्रकरण क्रमाक 39 / धारा--40 / 2019 आदेश दिनांक 20.06.2019 जो माननीय विहित प्राधिकारी अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी द्वारा पारित किया गया।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 91 ग्राम स्वराज एवं पचायत राज अधिनियम सहपठित धारा अपील एवं पुनरीक्षण नियम 1995 का नियम 6

(1) (2) (3)

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत अवलोकन किया गया।

2 / – निगरानीकर्ता की ओर से अभिभाषक श्री तरूणेन्द्र सिंह द्वारा यह निगरानी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के प्र0क0 39 / धारा–40 / 2019 में प्रारित आदेश दिनांक 20.06.2019 के विरूद्व म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम सहपठित अपील एवं पुनरीक्षण नियम 1995 के नियम 6 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

3 / – प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य यह है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी ने लोकायुक्त जांच प्रकरण कमांक 637 / 17 विरूद्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली तथा सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत परसिली विषय वस्तु से संबंधित जांच प्रतिवेदन दिनांक 03.12.2018 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी को प्रस्तुत किया, जिसमें उल्लेख किया गया कि सरपंच द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट 03 नग का क्रय रू0 25,000 / – प्रतिनग के मान से क्रय किया गया, जबकि शासन से रू0 20,000 / – प्रतिनग राशि निर्धारित थी। उक्त क्रय की गई सोलर लाईट में भण्डार क्रय नियम 2015 का उल्लंघन किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर निगरानीकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब आदि प्राप्त करने के पश्चात् अपने आदेश दिनांक 20.06.2019 से भण्डार क्रय नियम का उल्लंघन मानकर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी मानते हुए म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40(1) के प्रावधानों तहत पद से पृथक करते हुए अधिनियम की धारा 40(2) के तहत आगामी 06 वर्ष की कालावधि के लिए निर्हरित घोषित किया। मुख्य कार्यपालन अधिकरी जिला पंचायत सीधी के इसी आदेश दिनांक 20.06.2019 से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4 / – प्रकरण सुनवाई में लिया गया। निगरानीकर्ता की ओर से अभिभाषक श्री तरूणेन्द्र सिंह उपस्थित हुए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली की ओर से अभिभाषक श्री गिरीश तिवारी उपस्थित हुए। प्रकरण के गुण–दोष पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गए। निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने अपने तर्क में मुख्य रूप से कहा है कि निगरानीकर्ता सरपंच आदिवासी आरक्षित महिला सरपंच पद पर निर्वाचित सरपंच है। ग्राम पंचायत में पंच परमेश्वर मद से सोलर लाईट क्रय किए जाने के संबंध में पंचायत की बैठक दिनांक 02.01.2016 के प्रस्ताव कमांक 01 में यह निर्णय लिया गया था कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के ऐसे ग्रामों में जहां विद्युतीकरण नहीं हुए हैं, वहां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए सोलर लाईट क्रय